

संख्या : 243/02/OMRM/2021-22
दिनांक : 27/10/2021

अपर मुख्य सचिव, नगर विकास की अध्यक्षता में एस0टी0पी0 व इससे सम्बंधित मेन पम्पिंग स्टेशन, इण्टरमीडिएट पम्पिंग स्टेशन, सीवेज पम्पिंग स्टेशन, नाला-टैपिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर तथा सीवरेज नेटवर्क के 10 वर्षीय दीर्घकालिक रख-रखाव, संचालन व प्रबन्धन कार्य (Package- 4 Lucknow Zone, Package- 6 Agra Zone, Package-8 Ghaziabad Zone, Package-5 Gorakhpur Zone) की दिनांक 23.10.2021 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त।

उत्तर प्रदेश में स्थापित एस0टी0पी0 व इससे सम्बंधित मेन पम्पिंग स्टेशन, इण्टरमीडिएट पम्पिंग स्टेशन, सीवेज पम्पिंग स्टेशन, नाला-टैपिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर तथा सीवरेज नेटवर्क के 10 वर्षीय दीर्घकालिक रख-रखाव, संचालन व प्रबन्धन कार्य (Package- 4 Lucknow Zone, Package- 6 Agra Zone, Package-8 Ghaziabad Zone, Package-5 Gorakhpur Zone) हेतु नगर विकास अनुभाग-5 के शासनादेश सं0-2319 / नौ-5-2019 -394सा/ 2018 दिनांक 11.06.2019 द्वारा निविदा की स्वीकृति प्रदान की गयी थी, तदनुसार सम्बन्धित फर्मों के साथ अनुबन्ध सम्पादित किया गया। शासनादेश संख्या-849 / नौ-9-19-89ज/ 2001 दिनांक 18 जुलाई, 2019 द्वारा मूल बजट रु0 250.00 करोड़ एवं शासनादेश संख्या-2748 / नौ-9-20-89ज/ 2001, दिनांक 30.12.2020 द्वारा पुनरीक्षित बजट रु0 350.00 करोड़ प्रतिवर्ष एस.टी.पी. के संचालन, अनुरक्षण एवं प्रबंधन की व्यवस्था की गयी हैं। उ0प्र0 जल निगम को उक्त कार्य हेतु धनराशि स्वीकृत किए जाने पर निर्णय लेने हेतु नगर विकास अनुभाग-5 के शासनादेश सं0-504 / नौ-5-2020-394सा/ 2018 दिनांक 03.02.2020 द्वारा निम्नानुसार समिति गठित की हैं।

1	प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ	अध्यक्ष
2	प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ	सदस्य
3	निदेशक नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ	सदस्य
4	सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ	सदस्य
5	उप/सहायक निदेशक, लेखा, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ	सदस्य
6	मुख्य अभियन्ता, ओ0एम0 एण्ड एम0 सेल उत्तर प्रदेश पालिका (केन्द्रीयत) अभियन्त्रण सेवा, उत्तर प्रदेश	सदस्य-सचिव

उक्त समिति की बैठक अपर मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 23.10.2021 को सम्पन्न हुई। बैठक में सदस्यों/उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि तथा उत्तर प्रदेश जल निगम के अधिकारियों ने प्रतिभाग किया।

सदस्य सचिव द्वारा समिति के समक्ष बैठक में एजेण्डा प्रस्तुत किया गया एवं एजेण्डा के अनुसार बिन्दुवार प्रस्तुतीकरण किया गया। समिति के समक्ष प्रस्तुत एजेण्डा निम्नवत् है:

एजेण्डा (i) अपर मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 16.08.2021 को सम्पन्न बैठक के कार्यवृत्त में दिये गये निर्देशों की अनुपालन आख्या का अध्यक्ष महोदय द्वारा संज्ञान लिया गया। समस्त बिन्दुओं पर दिये गये निर्देशों का विस्तृत विवरण निम्नवत् है:-

बिन्दु सं०	दिनांक 16.08.2021 को बैठक में दिये गये निर्देश	अनुपालन आख्या	दिनांक 23.10.2021 को अपर मुख्य सचिव महोदय द्वारा दिये गये निर्देश
1	<p>महाप्रबन्धक, उ०प्र० जल निगम, अयोध्या से प्रारंभ से अब तक विद्युत बिलों को नहीं प्रेषित किये जाने का कारण पूछते हुये उनका स्पष्टीकरण प्राप्त करने के निर्देश दिये गये।</p> <p>सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि वन सिटी वन ऑपरेटर कार्यक्रम के अन्तर्गत फर्म द्वारा प्रदान की गयी सेवाएं एवं कराये गये कार्यों के सापेक्ष पेमेन्ट सर्टिफिकेट/बिल संबंधित महाप्रबन्धक सीधे ओ०एम० एण्ड एम० सेल को प्रेषित किये जाते हैं। अपर मुख्य सचिव महोदय द्वारा निर्देश दिया गया कि समस्त बिल संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम के माध्यम से किये जायें जिससे क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता का भी दायित्व हो सके कि समस्त बिल समय पर प्रेषित होते रहें।</p> <p>सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि UP Electricity Regulatory Commission (UPERC) Supply Code, 2005 Clause 3.5 & Tariff order FY 2020-21 regulation के अनुसार किसी भी उपभोक्ता के स्तर पर अधिष्ठापित यंत्र-संयंत्र का पावर फैक्टर न्यूनतम 0.90 होना चाहिए। पावर फैक्टर 0.75 से कम होने पर नियमावली के अनुसार विद्युत विच्छेदन की कार्यवाही भी की जा सकती है। अपर मुख्य सचिव महोदय द्वारा यह भी निर्देश दिये गये कि उ०प्र० जल निगम द्वारा स्थापित सीवेज शोधन संयंत्र एवं सीवेज परिणग स्टेशनों पर पावर फैक्टर का पर्यवेक्षण कर आवश्यक सुधारात्मक कार्यवाही की जाये जिससे किसी भी परिस्मृति</p>	<p>मुख्य अभियन्ता (OM&M cell) के पत्रांक 206/9/368(5)/2021- 22 दिनांक 16.08.2021 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता, निर्माण मण्डल उ०प्र० जल निगम, उ०प्र० जल निगम, अयोध्या से 18 माह से विद्युत बिल प्रेषित न किये जाने के सम्बन्ध में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया था। विलम्ब का कारण स्पष्ट नहीं किया गया परन्तु जनवरी 2020 से 02.08.2021 तक का बिल प्रेषित किया गया है जिसके भुगतान हेतु इस बैठक में प्रस्तुत किया गया है।</p>	<p>संज्ञान लिया गया।</p>

विद्युत बिलों में हो रहे व्यय में कमी करने एवं तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत करने हेतु कार्यालय के पत्रांक 209/2/MO&M/2021-22 दिनांक 03.09.2021 एवं 234/2/ OM&M/2021 दिनांक 11.10.2021 द्वारा मुख्य अभियन्ता (लखनऊ/गाजियाबाद/आगरा क्षेत्र/गोरखपुर क्षेत्र) को पत्र लिखा गया है।

महाप्रबन्धक, गोमती प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ द्वारा उक्त पर कार्यवाही हेतु मुख्य अभियन्ता (ओ०एम०एण्ड एम० सेल) को अपने पत्रांक 2301/डब्ल्यू-20/512 दिनांक 08.10.2021 द्वारा पत्र लिखा है परन्तु अपने स्तर से विद्युत बिल में कमी लाने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गयी। इसके अतिरिक्त

	<p>पर लो-पावर फैक्टर के कारण विद्युत विछेदन से बचा जा सके। उक्त के अतिरिक्त यह भी निर्देश दिये गये कि उम्प्र० जल निगम द्वारा वन सिटी वन ऑपरेटर से पहले व बाद के विद्युत देयताओं बिलों का तुलनात्मक व विश्लेष्णात्मक विवरण प्रस्तुत किया जाए।</p> <p>(कार्यवाही— उम्प्र० जल निगम)</p>	<p>परियोजना प्रबन्धक, यमुना प्रदूषण नियंत्रण इकाई (वि०/यां०), उम्प्र० जल निगम, आगरा ने अपने पत्र संख्या 850/कार्य.आगरा—वाबाग / 201 दिनांक 02.09.2021 द्वारा प्रोजेक्ट मैनेजर, ओ० एण्ड एम० डिवीजन, मेसर्स वी०ए० टैक वाबाग लि० चैन्लई से कार्यवाही हेतु अपेक्षा की गयी है। अन्य से कार्यवाही अपेक्षित है।</p>	<p>का तुलनात्मक विवरण एवं पावर फैक्टर के सुधार तथा विद्युत बिल को कम करने हेतु कार्ययोजना का अध्ययन कर अपनी आख्या प्रस्तुत करेगी।</p> <p>(कार्यवाही— उम्प्र० जल निगम)</p>
2	<p>बैठक में प्रबन्ध निदेशक, उम्प्र० जल निगम द्वारा सुझाव दिया गया कि आगली बैठक में प्राप्त बिलों के सापेक्ष ओ०एम० एण्ड एम० सेल द्वारा जो भी कटौतियाँ की जाती हैं उनका विवरण भी प्रस्तुतीकरण में सम्मिलित किया जाए। इस पर अपर मुख्य सचिव महोदय द्वारा तदानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।</p> <p>(कार्यवाही— सदस्य सचिव/ मुख्य अभियन्ता, ओ०एम० एण्ड एम० सेल)</p>	<p>प्राप्त बिलों से की गयी कटौतियों का विवरण ओ०एम०एण्डएम सेल द्वारा बैठक में प्रस्तुत किया जायेगा।</p>	<p>समिति द्वारा संज्ञान लिया गया एवं की गयी कटौतियों के विवरण का अवलोकन किया गया।</p>
3	<p>वन सिटी वन ऑपरेटर कार्यक्रम के अन्तर्गत फर्मो द्वारा प्रदान की गयी सेवाओं एवं कराये गये कार्यों के सापेक्ष उम्प्र० जल निगम द्वारा पेमेन्ट सर्टिफिकेट/ बिल प्रतिमाह ओ०एम० एण्ड एम० सेल को प्रेषित किये जाएं। प्राप्त बिलों के भुगतान एवं बिल सेटलमेन्ट की संस्तुति हेतु समिति की बैठक Alternate Months में आयोजित करने हेतु कार्यवाही की गयी है। गत बैठक दिनांक 16.08.2021 को सम्पन्न हुई थी। बैठक 23 अक्टूबर 2021 को अपराह्न 03:00 बजे प्रस्तावित है। मेजर रिप्लेसमेन्ट फण्ड एवं सामान्य नियमित, रखरखाव/अनुरक्षण के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यों को चिह्नित करने हेतु प्र०नि०, उम्प्र० जल निगम की अध्यक्षता में बैठक 16.09.2021 को सम्पन्न हो चुकी है। बैठक में सैद्धांतिक रूप से निर्णय लिया जा चुका है। कार्यवृत्त जारी होना शेष।</p>	<p>प्राप्त बिलों के भुगतान एवं बिल सेटलमेन्ट की संस्तुति हेतु समिति की बैठक में Alternate Months में आयोजित करने हेतु कार्यवाही की गयी है। गत बैठक दिनांक 16.08.2021 को सम्पन्न हुई थी। बैठक 23 अक्टूबर 2021 को अपराह्न 03:00 बजे प्रस्तावित है। मेजर रिप्लेसमेन्ट फण्ड एवं सामान्य नियमित, रखरखाव/अनुरक्षण के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यों को चिह्नित करने हेतु प्र०नि०, उम्प्र० जल निगम की अध्यक्षता में बैठक 16.09.2021 को सम्पन्न हो चुकी है। बैठक में सैद्धांतिक रूप से निर्णय लिया जा चुका है। कार्यवृत्त जारी होना शेष।</p>	<p>अपर मुख्य सचिव महोदय द्वारा संज्ञान लिया गया एवं प्रबन्ध निदेशक, उम्प्र० जल निगम (नगरीय), लखनऊ की अध्यक्षता में दिनांक 16.09.2021 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त दिनांक 26.10.2021 तक जारी करने के निर्देश दिये गये। उक्त कार्यवाही को आगामी दिसम्बर 2021 को होने वाली बैठक में अपर मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया जाए। साथ ही यह भी निर्देश दिये गये कि एस०टी०पी० से संबंधित कार्यों को क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता द्वारा एवं सीवर से संबंधित कार्यों को संबंधित नगर आयुक्त (नगर पालिका के केस में महाप्रबन्धक जलकल) द्वारा कार्यों की प्राथमिकता ३ सप्ताह के अन्दर तय कर ली जाये।</p>

	<p>तैयार करने हेतु प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम की अध्यक्षता में बैठक कराकर निर्णय लेने के निर्देश दिये गये। निर्देश दिये गये कि प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम की अध्यक्षता में बैठक आयोजित में कर ली जाये जिसमें निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0, मुख्य अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ, मुख्य अभियन्ता (ओ0एम0 एण्ड एम0 सेल), अधिःअभिः (ओ0एम0 एण्ड एम0 सेल) तथा कंसलटेन्ट, ओ0एम0 एण्ड एम0 सेल द्वारा प्रतिभाग किया जायेगा।</p> <p>(कार्यवाही— उ0प्र0 जल निगम एवं सदस्य सचिव ओ0एम0 एण्ड एम0 सेल)</p>	<p>इसके अतिरिक्त 16.08.2021 से पूर्व मेजर रिप्लेसमेन्ट फण्ड के अन्तर्गत जो कार्य स्वीकृति की प्रत्याशा में कराये जा चुके हैं उनको संकलित करते हुये प्राथमिकता पर प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम के समक्ष संबंधित नगर आयुक्त/क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम के माध्यम से दिनांक 30.10.2021 तक प्रस्तुत कर दिया जाये। उक्त कार्यों का औचित्य, किस स्तर से स्वीकृति प्राप्त है एवं तकनीकी परीक्षण प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम द्वारा कराकर तीन सप्ताह के अन्दर ओ0एम0 एण्ड एम0 सेल को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जाये। दिनांक 16.08.2021 के पश्चात किये गये/किये जाने वाले कार्यों को प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम की अध्यक्षता में दिनांक 16.09.2021 को सम्पन्न बैठक के कार्यवृत्त के अनुसार सुनिश्चित किया जाये।</p> <p>उक्त के अतिरिक्त प्रभारी प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम को यह निर्देशित किया गया कि इस आशय का पत्र जारी करें कि मेजर रिप्लेसमेन्ट फण्ड के सापेक्ष दिनांक 16.08.2021 से पहले कराये गये कार्यों के भुगतान हेतु कार्यवाही शीघ्र पूर्ण कर ली जाए तथा दिनांक 30.10.2021 के पश्चात प्राप्त प्रकरणों पर कोई भुगतान की कार्यवाही संभव नहीं होगी।</p> <p>(कार्यवाही— संबंधित नगर आयुक्त/ उ0प्र0 जल निगम)</p>
4	<p>प्रत्येक पैकेज में सीवर नेटवर्क का विस्तृत निरीक्षण कराकर यह सुनिश्चित किया जाये कि सीवर पाइप लाइन से लीकेज कदापि न हो। जहाँ—जहाँ सीवर लाइन एवं जलापूर्ति की लाइन साथ—साथ</p>	<p>उक्त निर्देश के अनुपालन हेतु ओ0एम0एण्डएम0 सेल के पत्रांक 210 / 2 / OM&M / 2021–22 दिनांक 03.09.2021 द्वारा मुख्य अभियन्ता (ल0क्ष्मी0) / (गाजियाबाद क्षेत्र) / (आगरा क्षेत्र) / (आगरा क्षेत्र) / (गोरखपुर क्षेत्र)</p> <p>अपर मुख्य सचिव महोदय द्वारा मुख्य अभियन्ता (लखनऊ क्षेत्र) को निर्देश दिये गये कि 10 दिन के अन्दर सीवर नेटवर्क का विस्तृत निरीक्षण कराकर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। मुख्य</p>

	<p>चल रही है, वहाँ किसी भी दशा में सीवर लीकेज/ओवर फ्लो न हो, यह सुनिश्चित कराया जाये। लीकेज के कारण जलजनित महामारी फैलने का खतरा हो जाता है, जो बिल्कुल ही ग्राह्य नहीं है। इसके लिये जो भी सुधारात्मक कार्य किया जाना हो उसका विवरण तैयार कर आगणन बनाकर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति के उपरान्त शीघ्र प्रस्तुत किया जाये।</p> <p>(कार्यवाही— उ0प्र0 जल निगम /संबंधित नगर निगम/ जलकल /नगर पालिका परिषद एवं फर्म)</p>	<p>को आवश्यक कार्यवाही हेतु पत्र प्रेषित किया गया है। कार्यवाही अपेक्षित है। अनुपालन आख्या प्राप्त नहीं हुई है।</p> <p>अभियन्ता (लखनऊ क्षेत्र) को यह भी निर्देश दिये गये कि क्षेत्र के नियंत्रणाधीन एस0टी0पी0 व एस0पी0एस0 के कार्यों की प्राथमिकता तय कर लें। प्रभारी प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम को यह निर्देश दिया कि शासन स्तर से संबंधित नगर आयुक्त/महाप्रबन्धक जलकल की जिम्मेदारी तय करते हुये समान्य निर्देश जारी किये जाये जिससे लखनऊ के बालू अड्डा जैसी दुर्घटना की पुनरावृत्ति ना हो सके। साथ ही पत्र में नगर आयुक्त को यह भी निर्देश जारी हो जाये कि सीवर मैन्टीनेन्स में माइनर वर्क को चिह्नित कर के रेगुलर ओ0एम0एण्ड एम0 के माध्यम से करवाना सुनिश्चित करें। उक्त के अतिरिक्त Preventive Maintenance हेतु आवश्यक कार्यों का भी चिन्हांकन नगर आयुक्त द्वारा किया जाये।</p> <p>(कार्यवाही— मु0अभि0, ल0क्षे0 / प्र0नि0, जल निगम)</p>
5	<p>समस्त जोन हेतु निर्देश दिये गये कि एस0टी0पी0 की मूल डिजाइन में थम्बंस बवसपवितउ हेतु जो भी मानक निर्धारित है उसके अनुसार ही ट्रीटेड सीवेज एफ्लुएंट में Fecal coliform सुनिश्चित किया जाये। यह कार्यवाही तुरंत सुनिश्चित करायी जाये। इसके अतिरिक्त थम्बंस बवसपवितउ को कम करने हेतु सुधारात्मक कार्य अवश्य कराये जायें।</p> <p>(कार्यवाही— उ0प्र0 जल निगम, यू0पी0पी0सी0बी0 एवं संबंधित फर्म)</p>	<p>उ0प्र0 जल निगम द्वारा की गयी कार्यवाही का विवरण अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता (गा0क्षे0), उ0प्र0 जल निगम, गाजियाबाद जोन के समस्त 15 एस0टी0पी0 की मूल डिजाइन के अनुसार समस्त इनलेट व आउटलेट पैरामीटर्स के सम्बन्ध में ओ0एम0 एण्ड एम0 सेल के पत्रांक 225 / 12 / 368(8) / 2021–22 दिनांक 21.09.2021 द्वारा सूचना मांगी गयी थी। कार्यवाही अभी तक अपेक्षित है।</p> <p>अपर मुख्य सचिव महोदय द्वारा संज्ञान लेते हुये यह निर्देश दिये गये कि इस हेतु एक समिति का गठन किया जाये जिसके संयोजक मुख्य अभियन्ता (गाजियाबाद क्षेत्र), उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), गाजियाबाद एवं अन्य प्रतिनिधि, श्री संजय कुमार सिंह, कंसल्टेन्ट, ओ0एम0 एण्ड एम0 सेल एवं क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद होंगे। बैठक में श्री संजय कुमार सिंह, कंसल्टेन्ट, ओ0एम0 एण्ड एम0 सेल द्वारा अवगत कराया गया कि श्री डी0पी0 सिंह, सेवानिवृत्त, मुख्य अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम जोकि सीवरेज एवं एस0टी0पी0 के कार्यों हेतु एक्सपर्ट है तथा</p>

		<p>भारत सरकार के CPHEEO कमेटी के सदस्य भी हैं को भी इस कमेटी के सदस्य के रूप में लिये जाने पर विचार किया जा सकता है।</p> <p>अपर मुख्य सचिव महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि कमेटी गाजियाबाद जोन के संबंधित एस०टी०पी० का निरीक्षण कर अपनी रिपोर्ट इस आशय से प्रस्तुत करें कि न्यूनतम व्यय में Fecal coliform norms को मानक के अनुरूप प्राप्त किया जा सके।</p> <p>अपर मुख्य सचिव महोदय द्वारा गाजियाबाद जोन में अधिक मात्रा में सी०ओ०डी० पहुंचने पर चिंता व्यक्त की गयी एवं निर्देश दिये गये कि उपरोक्त गठित कमेटी संबंधित एस०टी०पी० का निरीक्षण कर सी०ओ०डी० के मानक फेल होने के कारणों के बारे में जानकारी प्राप्त करें एवं अगली बैठक में रिपोर्ट प्रस्तुत करें।</p> <p>उक्त के अतिरिक्त अपर मुख्य सचिव महोदय द्वारा यह निर्देश दिये गये कि नगर विकास अनुभाग-9 द्वारा अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण, अपर मुख्य सचिव, औद्योगिक विकास एवं सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को एस०टी०पी० पर अधिक सी०ओ०डी० (अर्थात् इंडस्ट्रीयल वेस्ट) प्राप्त होने के संबंध में पत्र प्रेषित किया जाये एवं प्रतिलिपि मुख्य सचिव महोदय के स्टाफ अफिसर को भी दिया जाए।</p> <p>(कार्यवाही— मु०आभि०, गा०क्षे०)</p>
6	गाजियाबाद जोन के अन्तर्गत रामपुर एस०टी०पी० एवं संबंधित सीवरेज नेटवर्क का विस्तृत निरीक्षण करा लिया जाये। यदि इस एस०टी०पी० अथवा सीवरेज	<p>उक्त निर्देश के अनुपालन हेतु ओ०एम०एण्डएम० सेल के पत्रांक 217 / 12 / 368(8) / 2021-22 दिनांक 09.09.2021 द्वारा मुख्य अभियन्ता (गाजियाबाद क्षेत्र) उ०प्र० जल निगम,</p>

	<p>नेटवर्क में गुणात्मक सुधार हेतु डंरवत तमचसंबंधमउमदज अन्दक के अन्तर्गत कार्य कराया जाना आवश्यक हो तो इसका डी०पी०आर० गठित कर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति के उपरान्त प्रस्तुत किया जाये, जिससे अग्रेतर कार्यवाही की जा सके।</p> <p>(कार्यवाही— उ०प्र० जल निगम एवं संबंधित फर्म)</p>	<p>गाजियाबाद को पत्र लिखा गया। इसका अनुस्मारक पत्रांक 226/121/368(8)/2021 –22 दिनांक 21.09.2021 द्वारा प्रेषित किया गया। कार्यवाही अपेक्षित है।</p>	<p>क्षेत्र) उ०प्र० जल निगम, गाजियाबाद द्वारा निरीक्षण कर एक सप्ताह के अन्दर विस्तृत तकनीकी रिपोर्ट सुझाव सहित प्रस्तुत किया जाए।</p> <p>(कार्यवाही— मु०अभि०, गा०क्षे०)</p>
7	<p>गाजियाबाद जोन के अन्तर्गत मोदीनगर में नवनिर्मित 20 एम०एल०डी० क्षमता के एस०टी०पी० को वन सिटी वन ऑपरेटर कार्यक्रम के अन्तर्गत सम्मिलित किये जाने हेतु नियमानुसार शीघ्र आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।</p> <p>(कार्यवाही—उ०प्र० जल निगम)</p>	<p>उक्त निर्देश के अनुपालन हेतु ओ०एम०एण्डएम० सेल के पत्रांक 226/12/368(8)/2021–22 दिनांक 21.09.2021 द्वारा मुख्य अभियन्ता (गाजियाबाद क्षेत्र) उ०प्र० जल निगम, गाजियाबाद को पत्र लिखा गया। कार्यवाही अपेक्षित है।</p>	<p>अपर मुख्य सचिव महोदय द्वारा निर्देश दिया गया कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित मोर्टी, गाजियाबाद की नवनिर्मित एस०टी०पी० को 25 नवम्बर 2021 तक नगर निगम, गाजियाबाद को हस्तांतरित कर 30 नवम्बर—2021 तक उ०प्र० जल निगम, गाजियाबाद को हस्तांतरित करा दिया जाये। तत्पश्चात उक्त एस०टी०पी० को वन सिटी वन ऑपरेटर के अन्तर्गत पैकेज संख्या—८ में सम्मिलित करने की कार्यवाही प्रारंभ की जाये।</p> <p>उक्त के अतिरिक्त मोदीनगर एस०टी०पी० का कार्य शीघ्र पूर्ण कराकर वन सिटी वन ऑपरेटर में सम्मिलित किया जाए।</p> <p>(कार्यवाही— नगर निगम, गाजियाबाद व मु०अभि०, गा०क्षे०)</p>
8	<p>गाजियाबाद जोन हेतु महाप्रबन्धक, जलकल गाजियाबाद द्वारा अवगत कराया गया कि मेसर्स VA Tech Wabag द्वारा सीवर की सफाई आवश्यकतानुरूप नहीं की जा रही है जिस पर यह निर्देश दिया गया कि फर्म द्वारा समुचित व्यवस्था कराते हुये सीवर की सफाई करायें जिससे सीवर ओवर पलो की समस्या उत्पन्न न हो।</p> <p>(कार्यवाही—संबंधित नगर आयुक्त/ संबंधित महाप्रबन्धक, जलकल / संबंधित फर्म)</p>	<p>कार्यवाही अपेक्षित है।</p>	<p>महाप्रबन्धक, जलकल, गाजियाबाद द्वारा अवगत कराया गया कि फर्म द्वारा एक अतिरिक्त जेटिंग मशीन एवं सीवर सफाई हेतु कुछ ठीमें बढ़ायी गयी हैं एवं कार्यवाही की जा रही है।</p> <p>अपर मुख्य सचिव महोदय द्वारा मशीने और बढ़ाकर कार्यों को कराने के निर्देश दिए गये।</p> <p>कार्यवाही—संबंधित नगर आयुक्त/ संबंधित महाप्रबन्धक, जलकल / संबंधित फर्म)</p>

9	<p>गाजियाबाद जोन हेतु निर्देश दिया गया कि अनुबंध अंतर्गत एस०टी०पी० पर वांछित डिजाईन श्राव लाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाए।</p> <p>(कार्यवाही—उ०प्र० जल निगम एवं संबंधित फर्म)</p>	<p>मुख्य अभियन्ता (गाजियाबाद क्षेत्र) उ०प्र० जल निगम, गाजियाबाद द्वारा की गयी कार्यवाही अपेक्षित है।</p>	<p>मुख्य अभियन्ता (गाजियाबाद क्षेत्र) द्वारा अवगत कराया गया कि कुछ स्थानों पर सीवर गृह संयोजन न होने के कारण कम श्राव प्राप्त हो रहा है। इन स्थलों पर कार्य प्रगति पर है।</p> <p>अपर मुख्य सचिव महोदय द्वारा मुख्य अभियन्ता (गाजियाबाद क्षेत्र) को निर्देश दिये गये कि अगामी एक माह के अन्दर गाजियाबाद जोन में जिन एस०टी०पी० पर वांछित डिजाईन श्राव प्राप्त नहीं हो रहा है उन पर आवश्यक कार्यवाही पूर्ण कर लिया जाए।</p> <p>(कार्यवाही— मु०अभि०, गा०क्षे०)</p>
10	<p>गोरखपुर जोन के अन्तर्गत सामान्यता पेमेन्ट सर्टिफिकेट/ बिल विलम्ब से प्राप्त होते हैं। इस पर फर्म द्वारा अवगत कराया गया कि ट्रीटेड सीवेज की—थर्ड पार्टी (UPPCB) से टेस्ट रिपोर्ट समय पर प्राप्त नहीं होती है जिसके कारण प्रायः विलम्ब से बिल प्रस्तुत हो पाता है। बैठक में उपस्थित UPPCB के अधिकारियों को निर्देश दिये गये कि क्षेत्रीय अधिकारी, (UPPCB) गोरखपुर से इस संबंध में निर्देश दे दें एवं यह सुनिश्चित करायें कि भविष्य में टेस्ट रिपोर्ट निर्धारित समयान्तर्गत प्राप्त हो जाया करें।</p> <p>(कार्यवाही— यू०पी०पी०सी०बी०)</p>	<p>उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनुपालन आव्या अपेक्षित है।</p>	<p>अपर मुख्य सचिव महोदय द्वारा बैठक में उपस्थित उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि को निर्देशित किया गया कि परीक्षण रिपोर्ट समय पर उपलब्ध कराया जाये जिससे भुगतान में विलम्ब न हो। इसके अतिरिक्त नगरों के सीवरेज सिस्टम में आ रहे इंडस्ट्रीयल वेस्ट को रोकने के सम्बन्ध में प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाये, जिससे एस०टी०पी० के परफार्मेंस पर दुष्प्रभाव न पड़े। इस संबंध में उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की उपस्थित प्रतिनिधि को निर्देश दिया कि अध्यक्ष, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को इस संबंध में अवगत करायें। साथ ही प्रभारी प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम को निर्देशित किया कि सदस्य सचिव को इस संबंध में पत्र भी प्रेषित किया जाये।</p> <p>इस संबंध में समस्त नगर आयुक्त को आवश्यक पत्र भी प्रेषित करने के निर्देश दिए गये।</p> <p>(कार्यवाही— यू०पी०पी०सी०बी०)</p>
11	उ०प्र० जल निगम के अभियन्ताओं द्वारा एस०पी०एस० व एस०टी०पी०	महाप्रबन्धक, गोमती प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ	बैठक में महाप्रबन्धक, गोमती प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ०प्र०

	<p>का समुचित अनुश्रवण किया जाये एवं पूर्व के बैठकों में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।</p> <p>(कार्यवाही—उ0प्र0 जल निगम)</p>	<p>द्वारा अपने पत्रांक 2106/डब्ल्यू—11/73 दिनांक 13.09.2021 एवं पत्र संख्या—2314/डब्ल्यू—11/83 दिनांक 08.10.2021 द्वारा निरीक्षण आख्या की प्रति ओ0एम0 एण्ड एम0 सेल को प्रेषित की गयी है। अन्य द्वारा कार्यवाही अपेक्षित है।</p>	<p>जल निगम, लखनऊ द्वारा अवगत कराया गया कि मेसर्स सुएज इण्डिया प्रा0लि0 द्वारा 345 एम0एल0डी0 भरवारा एस0टी0पी0 का उचित अनुश्रवण नहीं करने के कारण सैटिक कन्डीशन उत्पन्न हो रही है जिससे हैंड रेलिंग एवं अन्य उपकरणों की खराब होने की प्रबल संभावना है। यह भी अवगत कराया गया कि अनुबंध में क्वालीटी एवं क्वांटिटी की गणना के आधार पर ही एल0डी0 लगाये जाने के प्राविधान होने के कारण फर्म द्वारा अन्य उपकरणों के रखरखाव पर उचित ध्यान नहीं दिया जा रहा है।</p> <p>अपर मुख्य सचिव महोदय द्वारा मुख्य अभियन्ता (लखनऊ क्षेत्र) को निर्देश दिये गये कि 7 दिन के अन्दर महाप्रबन्धक, जल निगम तथा फर्म को एस0टी0पी0 के सुचारू अनुश्रवण हेतु दिशा निर्देश जारी करें तदोपरान्त प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम को यह निर्देश दिया गया कि जारी की गयी दिशा निर्देश को अन्य क्षेत्रों में भी लागू करायें तथा मेसर्स सुएज इण्डिया प्रा0लि0 की एक माह पश्चात (अर्थात् दिनांक 23.10.2021 से 5 सप्ताह) के अन्दर मुख्य अभियन्ता (लखनऊ क्षेत्र) द्वारा जारी की गयी दिशा निर्देश के अनुपालन आख्या की समीक्षा करके दिसम्बर—2021 की प्रस्तावित आगामी बैठक में प्रस्तुत करें।</p> <p>(कार्यवाही— प्र0नि0, जल निगम / मु0अभि0, ल0क्षो/ ओ0एम0एण्ड एम0 सेल व संबंधित फर्म)</p>
--	--	---	--

एजेन्डा (ii) महाप्रबन्धक, उत्तर प्रदेश जल निगम, गोरखपुर के पत्र संख्या—835/वर्क—10/147 दिनांक 17.08.2021 एवं पत्र संख्या—1041/वर्क—10/170 दिनांक 22.10.2021 द्वारा गोरखपुर जोन के अन्तर्गत

गोरखपुर नगर में स्थित 15 व 30 एम०एल०डी०, एस०टी०पी० के माह जून-2021 (अवशेष), जुलाई-2021 अगस्त व सितम्बर-2021 हेतु फर्म - मेसर्स तोशीबा वाटर सॉल्यूशन प्र०लि० द्वारा गोरखपुर जोन में प्रदान की गयी सेवाएं एवं कराये गये कार्यों के सापेक्ष प्राप्त पेमेन्ट सर्टिफिकेट/बिलों पर निर्णय लेते हुए उत्तर प्रदेश जल निगम को धनराशि अवमुक्त किये जाने एवं महाप्रबन्धक, उत्तर प्रदेश जल निगम, गोरखपुर पत्र संख्या-614 /वि-28/62 दिनांक 04.09.2021, पत्र संख्या-607 /वि- 28/58 दिनांक 28.08.2021 एवं पत्र संख्या-689 /वि-28/77 दिनांक 22.10.2021 द्वारा गोरखपुर जोन के अन्तर्गत अयोध्या नगर में स्थित 12 एम०एल०डी० एस०टी०पी० के माह जून-2021 (अवशेष) जुलाई-2021, अगस्त-2021 व सितम्बर-2021 के भुगतान हेतु प्रेषित किया गया है। इसके अतिरिक्त अवगत कराया गया कि गोरखपुर नगर एवं अयोध्या नगर के जुलाई-2020 (अवशेष) से दिसम्बर-2020 (अवशेष) का उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/थर्ड पार्टी रिपोर्ट प्राप्त न होने के कारण पूर्व में आंशिक भुगतान किया गया था, उक्त अवधि की रिपोर्ट परियोजना प्रबन्धक, निर्माण इकाई, उ०प्र० जल निगम, गोरखपुर के पत्रांक 435/कार्य-10/66 दिनांक 09.04.2021 द्वारा प्रेषित की गयी। उक्त अवधि का अवशेष भुगतान भी किया जाना प्रस्तावित है। फर्म-मेसर्स तोशीबा वाटर सॉल्यूशन प्र०लि० द्वारा गोरखपुर जोन में प्रदान की गयी सेवाएं एवं कराये गये कार्यों के सापेक्ष उ०प्र० जल निगम से प्राप्त पेमेन्ट सर्टिफिकेट/बिलों का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र० सं०	अनुबन्ध के अनुसार पेमेन्ट सर्टिफिकेट / बिल का विवरण	गोरखपुर	अयोध्या
1	8 th Payment Certificate/ Bill- July, 2020	रु० 9723616.84 (फर्म को भुगतान रु० 8492382 + जीएसटी रु० 1019085.84+ डीजल रु० 213149)	रु० 2406405.12 (फर्म को भुगतान रु० 2148576 + जीएसटी रु० 257829.12)
2	9 th Payment Certificate/ Bill- August, 2020	रु० 8254537.76 (फर्म को भुगतान रु० 7370123 + जीएसटी रु० 884414.76)	रु० 2406405.12 (फर्म को भुगतान रु० 2148576 + जीएसटी रु० 257829.12)
3	10 th Payment Certificate / Bill- Sept, 2020	रु० 3953007.48 (फर्म को भुगतान रु० 3284097.48 + जीएसटी रु० 394092 + डीजल रु० 274818)	रु० 21,65,364.00 (फर्म को भुगतान रु० 1923750.45 + जीएसटी रु० 230850.05 + डीजल रु० 10763)+ सेन्टेज/सुपरवीजन चार्जेस (10 प्रतिशत) रु० 192375.05
4	11 th Payment Certificate / Bill- Oct, 2020	रु० 4813297.99 (फर्म को भुगतान रु० 4209058.93 + जीएसटी रु० 505087.06+ डीजल रु० 99152)	रु० 20,00,493.00 (फर्म को भुगतान रु० 1767099.32 + जीएसटी रु० 212051.92 + डीजल रु० 21342) + सेन्टेज/सुपरवीजन चार्जेस (10 प्रतिशत) रु० 176709.93
5	12 th Payment Certificate / Bill- November, 2020	रु० 73,05,061.76 (फर्म को भुगतान रु० 6446048 + जीएसटी रु० 773525.76 + डीजल रु० 85488.00)	रु० 21,93,871.00 (फर्म को भुगतान रु० 1936582.23 + जीएसटी रु० 232389.87 + डीजल रु० 24899))+ सेन्टेज/सुपरवीजन चार्जेस (10 प्रतिशत) रु० 193658.22
6	13 th Payment Certificate / Bill- December, 2020	रु० 78,94,612.69 (फर्म को भुगतान रु० 6949566.69 + जीएसटी रु० 833948.00 + डीजल रु० 111098.00)	रु० 22,86,975.00 (फर्म को भुगतान रु० 2018828.43 + जीएसटी रु० 242259.41 + डीजल रु० 25887) + सेन्टेज/सुपरवीजन चार्जेस (10 प्रतिशत) रु० 2488857.68

7	19 th Payment Certificate /Bill- June, 2021	₹0 93,65,740.24 (फर्म को भुगतान ₹0 8244527.00 + जीएसटी ₹0 989343.24 + डीजल ₹0 131870.00)	₹0 24,90,841.23 (फर्म को भुगतान ₹0 2180803.79 + जीएसटी ₹0 2,61,696.44 + डीजल ₹0 48341.00)
8	21 th Payment Certificate / Bill- July, 2021	₹0 95,23,558.00 (फर्म को भुगतान ₹0 8301419.00 + जीएसटी ₹0 996171.00 + डीजल ₹0 225968.00)	₹0 24,94,945.14 (फर्म को भुगतान ₹0 2183229.59 + जीएसटी ₹0 261987.55 + डीजल ₹0 49728.00)
9	22 th Payment Certificate / Bill- August, 2021	₹0 95,99,360.00 (फर्म को भुगतान ₹0 8381394.00 + जीएसटी ₹0 1005768.00 + डीजल ₹0 212198.00)	₹0 25,21,364.89 (फर्म को भुगतान ₹0 2194873.47 + जीएसटी ₹0 263384.82 + डीजल ₹0 63107.00)
10	23 th Payment Certificate / Bill- September, 2021	₹0 96,93,113.00 (फर्म को भुगतान ₹0 8414670.00 + जीएसटी ₹0 1009761.00 + डीजल ₹0 268682.00)	₹0 25,21,364.89 (फर्म को भुगतान ₹0 2256004.00 + जीएसटी ₹0 2,70,720.00 + डीजल ₹0 93773.00)

उक्त पेमेन्ट सर्टिफिकेट/बिलों का ओ0एम0 एण्ड एम0 सेल द्वारा एवं परीक्षणोपरान्त समिति के समक्ष प्रस्तावित भूगतान हेतु संस्तुति निम्नवत् है:-

महाप्रबन्धक, उत्तर प्रदेश जल निगम, गोरखपुर द्वारा माह जून-2021 (अवशेष), जुलाई-2021 अगस्त व सितम्बर-2021 एवं गोरखपुर जोन के अन्तर्गत अयोध्या नगर में स्थित 12 एम०एल०डी० एस०टी०पी० के माह जून (अवशेष) तथा गोरखपुर नगर एवं अयोध्या नगर के जुलाई-2020 (अवशेष) से दिसम्बर-2020 (अवशेष) के सत्यापित पेमेन्ट सर्टीफिकेट / बिल प्रेषित किये गये हैं प्रयोगशाला की टेस्ट रिपोर्ट, एन.ए.बी.एल एक्रिएटेड लैब की टेस्ट रिपोर्ट, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा एकत्रित किये गये सैम्पल के टेस्ट रिपोर्ट के आधार पर जल निगम द्वारा अनुबन्ध की व्लाज 39 सेक्शन-IV के अनुसार एस०टी०पी० वाईज व्हांटीटी एवं व्हालिटी की गणना की गयी है।

निदेशालय में गठित ओ०एम०एण्डएम० सेल के कन्सल्टेंट (संजय कुमार सिंह), मुख्य अभियन्ता (मनीष कुमार सिंह), अधिशासी अभियन्ता (सौरभ श्रीवास्तव) एवं सहायक लेखाकार (गौरव त्रिपाठी) द्वारा महाप्रबन्धक, उत्तर प्रदेश जल निगम, गोरखपुर द्वारा प्रेषित उक्त बिलों का परीक्षण किया गया। परीक्षण में विसंगतियाँ पायी गयी।

(अ) अनुबंध के Section-II के क्लाज संख्या-34.2 में Mobilization Advance की रिकवरी किये जाने के संबंध में निम्नानुसार वर्णित है:-

"34.2- The Mobilization Advance shall be recovered on monthly installment basis @10% per amount of Mobilization Advance. The installments shall commence when 10% (12 Months) of the scheduled contract period has elapsed and fully recovered before when 20% (24 months) of scheduled contract period is over, both from date of start. (The month of start & completion of recovery of Mobilization Advance to be rounded off to nearest fully month."

उक्त क्लाज के अनुसार Mobilization Advance की recovery प्रत्येक माह 10 प्रतिशत की दर से 13वें महीने से प्रारंभ कर 24वें महीने के पहले तक पूर्ण की जानी चाहिये परन्तु अभी तक प्रत्येक माह रिकवरी निम्नानुसार की जा रही है।

फर्म को दिये Mobilization Advance की धनराशि - A

प्रतिमाह काटी जा रही धनराशि = A

इस प्रकार प्रत्येक माह मात्र 8.33 प्रतिशत की ही कटौती की जा रही है जो अनुबंध में वर्णित कटौती की दर 10 प्रतिशत से कम है।

(ब) उक्त समस्त RA Bills से Mobilization Advance की कटौती करने के उपरान्त जी०एस०टी० की गणना की गयी है, जब कि Certified value की धनराशि पर सर्वप्रथम जी०एस०टी० की गणना करने के उपरान्त Mobilization Advance की कटौती की जानी चाहिये। अनुबंध के सेक्षन-2 के क्लाज-5.4 में 5 प्रतिशत escalation का प्राविधान है। इसी प्रकार 5 प्रतिशत escalation की गणना समस्त कटौतियाँ (LD एवं Mobilization Advance) के उपरान्त की गयी है, जबकि 5 प्रतिशत escalation की गणना Certified Value (सर्टिफाइड बिल) अर्थात् एल०डी० की कटौती के उपरान्त देय धनराशि पर की जानी चाहिये, तत्पश्चात Mobilization Advance की कटौती की जानी चाहिये।

उपरोक्त (अ) व (ब) पर वर्णित तथ्यों के अनुसार गोरखपुर जोन के माह जून-2021 (अवशेष) एवं गोरखपुर जोन के अन्तर्गत अयोध्या नगर में स्थित 12 एम०एल०डी० एस०टी०पी० के माह जून (अवशेष) व जुलाई-2021 तथा गोरखपुर नगर एवं अयोध्या नगर के जुलाई-2020 से दिसम्बर-2020 के भुगतान की संस्तुति की गयी।

गोरखपुर जोन में स्थित कुल 3 नग. एस०टी०पी० का ट्रीटेड सीवेज जुलाई-2020 से दिसम्बर-2020 (अवशेष) व जून-2021 (अवशेष) तक क्वालिटी हेतु निर्धारित मानक के सापेक्ष निम्न आवृत्ति के अनुसार असफल हुआ है।

- 12 एम०एल०डी० एस०टी०पी०, अयोध्या-सी०ओ०डी०-91 बार, टी०एस०एस०-46
 - 15 एम०एल०डी० एस०टी०पी०, गोरखपुर-बी०ओ०डी०-127 बार, सी०ओ०डी०-5 बार, टी०एस०एस०-141 बार, FC-2 बार
 - 30 एम०एल०डी० एस०टी०पी०, गोरखपुर-बी०ओ०डी०-147 बार, सी०ओ०डी०-4 बार, टी०एस०एस०-139 बार
- गोरखपुर जोन के 3 एस०टी०पी० में उपरोक्त (अ) एवं (ब) के तथ्यों के आलोक में क्वालिटी एवं क्वांटिटी के सापेक्ष की गयी कटौतियाँ का विवरण निम्नवत् हैं:-

माह	उ०प्र० जल निगम द्वारा प्रेषित बिल की धनराशि	मोबिलाईजेशन एडवांस हेतु कटौती	क्वांटिटी एवं पैरामीटर के सापेक्ष एल०डी० की कुल कटौती	कुल कटौतियाँ (मोबिलाईजेशन एडवांस, क्वांटिटी एवं पैरामीटर के सापेक्ष एल०डी० सहित)
1	2	3	4	5 = (3+4)
गोरखपुर जोन				
जुलाई-2020 (अवशेष)	12130021.96	0.00	990000.00	990000.00
अगस्त-2020 (अवशेष)	10660942.88	0.00	710000.00	710000.00
सितम्बर-2020 (अवशेष)	6181371.48	0.00	1310000.00	1310000.00
अक्टूबर-2020 (अवशेष)	6813790.99	0.00	1000000.00	1000000.00
नवम्बर-2020 (अवशेष)	9498932.76	0.00	1490000.00	1490000.00
दिसम्बर-2020 (अवशेष)	10181578.69	0.00	1460000.00	1460000.00
जून-2021 (अवशेष)	11856581.47	0.00	10000.00	10000.00
जुलाई-2021 (Adhoc Payment)	12018503.14	2664233.60	0.00	2664233.60
अगस्त-2021 (Adhoc Payment)	12120724.89	1332116.80	0.00	1332116.80
सितम्बर-2021 (Adhoc Payment)	12214477.89	1332116.80	0.00	1332116.80
योग	103676926.15	5328467.20	6970000.00	12298467.20

उपरोक्तानुसार जून-2021 तक मोबिलाईजेशन एडवांस की कटौती रु 7992700.80 की जानी थी जिसके सापेक्ष रु 6660584.00 की कटौती जून-2021 तक की गयी है। इस प्रकार जून-2021 तक बकाया



मोबिलाईजेशन एडवांस रु 0 13,32,116.80 माह जुलाई-2021 से एकमुश्त काट ली गयी है एवं जुलाई-2021 से सितम्बर-2021 तक 3 माह की मोबिलाईजेशन की कटौती रु 0 39,96,350.40 कर ली गयी है, अर्थात् कुल रु 0 53,28,467.20 की कटौती की गयी है।

अनुबंध के Section-II के प्रस्तर-34 के अनुसार मेसर्स तोशीबा वाटर सल्यूशन प्राइलो को मोबिलाईजेशन एडवांस (अनुबंध की वार्षिक धनराशि का 10 प्रतिशत) रु 0 1,33,21,168.00 (रु 0 एक करोड़ तौंतीस लाख इक्कीस हजार एक सौ अड़सठ मात्र) भुगतान किया गया है जिसकी 10 किश्तों के सापेक्ष प्रथम किश्त की देयता जनवरी-2021 से थी। इसकी 7th, 8th & 9th किश्त की कटौती जल निगम द्वारा जुलाई-2021, अगस्त-2021 व सितम्बर-2021 के बिल से की जानी थी परन्तु जल निगम द्वारा कटौती न किये जाने के कारण जुलाई-2021 के बिल से रु 0 26,64,233.60 (रु 0 छह्बीस लाख चौसठ हजार दो सौ तौंतीस व पैसे साठ मात्र) तथा अगस्त व सितम्बर-2021 के बिल से प्रतिमाह रु 0 13,32,116.80 (रु 0 तेरह लाख बतीस हजार एक सौ सोलह व पैसे अस्सी मात्र) के बिल में ओएमएण्डएम सेल द्वारा की गयी है। वर्तमान में 10th किश्त (माह अक्टूबर) की कटौती रु 0 13,32,116.80 मात्र ही अवशेष है।

सदस्य सचिव/मुख्य अभियन्ता, ओएम० एण्ड एम० सेल द्वारा अवगत कराया गया कि अनुबंध के Section-II के प्रस्तर-2.8 के अनुसार फर्म द्वारा एस्क्रो एकाउन्ट में प्रतिवर्ष रु 0 7.00 करोड़ की धनराशि 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष एस्केलेशन (संचयी आधार पर) के उपरान्त अपने देयकों से जमा की जानी अपेक्षित है। मेसर्स तोशीबा वाटर सल्यूशन प्राइलो को भुगतान की गयी धनराशि (सितम्बर-2021 तक प्रेषित बिलों के सापेक्ष) एस्क्रो एकाउन्ट में रु 0 12,43,95,832.17 (रु 0 बारह करोड़ तौंतालीस लाख पंचानवे हजार आठ सौ बतीस व पैसे सतरह मात्र) जमा किया जाना था जिसके सापेक्ष फर्म ने रु 0 2,55,60,801.00 (रु 0 दो करोड़ पचपन लाख साठ हजार आठ सौ एक मात्र) जमा किये हैं तथा दिनांक 16.08.2021 सम्पन्न हुयी बैठक में प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम (नगरीय), लखनऊ को रु 0 3,27,76,796.92 (रु 0 तीन करोड़ सताइस लाख छिहत्तर हजार सात सौ छियानवे व पैसे बानवे मात्र) की धनराशि एस्क्रो एकाउन्ट में जमा किये जाने हेतु अवमुक्त की जा चुकी है एवं वर्तमान में रु 0 6,60,58,234.25 (रु 0 छ: करोड़ साठ लाख अट्ठावन हजार दो सौ चौंतीस व पैसे पच्चीस मात्र) फर्म को एस्क्रो एकाउन्ट में जमा किया जाना अवशेष है।

ओ०एम० एण्ड एम० सेल द्वारा की गयी संस्तुति निम्नवत् है:-

उपरोक्तानुसार की गयी कटौतियों के उपरान्त ओ०एम० एण्ड एम० सेल द्वारा निम्न विवरण के अनुसार उ०प्र० जल निगम को भुगतान हेतु आवंटित किये जाने की संस्तुति निम्नानुसार की जाती है:-

क्र. स.	पेमेन्ट सर्टिफिकेट / बिल का विवरण	8 th Payment Certificate/ Bill- July 2020 (Rs.) (Balance Amount)	9th Payment Certificate/ Bill- Aug 2020 (Rs.) (Balance Amount)	10th Payment Certificate/ Bill- Sept 2020 (Rs.) (Balance Amount)	11th Payment Certificate / Bill- Oct 2020 (Rs.) (Balance Amount)	12th Payment Certificate / Bill- Nov 2020 (Rs.) (Balance Amount)	13th Payment Certificate / Bill- Dec 2020 (Rs.) (Balance Amount)	19th Payment Certificate / Bill- June 2021 (Rs.) (Balance Amount)	20th Payment Certificate / Bill- July 2021 (Rs.) (Adhoc payment)
1	पेमेन्ट सर्टिफिकेट / बिल के सापेक्ष अवमुक्त की जाने वाली धनराशि	954862.43	1505180.82	(-) 662661.33	368267.35	(-) 2126321.60	(-) 1682870.25	1144221.67	7863486.44
2	जी.एस.टी.(12 प्रतिशत)	114583.49	180621.69	(-) 79519.36	44192.00	(-) 2126321.60	(-) 201944.43	137306.60	943618.37
3	पूर्ण चार्जस (As per actual Certified by UPJN)	22000.00	103156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275696.00

4	उ0प्र0 जल निगम को देय सेन्टेज / सुपरवीजन चार्जस (10 प्रतिशत)	95486.25	150518.08	(-) 66266.13	36826.74	(-) 212632.16	(-) 168287.02	114422.16	786348.64
5	मोबिलाइजेशन एडवांस की कटौती	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2664233.60
6	योग (1+2+3+4- 5)	1186932.17	1939476.59	(-) 808446.82	449286.17	(-) 2594112.35	(-) 2053101.70	1395950.44	7204915.86

क्र. सं.	पेमेन्ट सर्टिफिकेट / बिल का विवरण	21 th Payment Certificate/ Bill- August 2021 (Rs.) (Adhoc Payment)	22 th Payment Certificate/ Bill- September 2021 (Rs.) (Adhoc Payment)
1	पेमेन्ट सर्टिफिकेट / बिल के सापेक्ष अवमुक्त की जाने वाली धनराशि	7932200.60	8003005.50
2	जी.एस.टी.(12 प्रतिशत)	951864.07	960360.66
3	पृष्ठल चार्जस (Asperactual Certified by UPIN)	275305.00	362455.00
4	उ0प्र0 जल निगम को देय सेन्टेज / सुपरवीजन चार्जस (10 प्रतिशत)	793220.06	800300.55
5	मोबिलाइजेशन एडवांस की कटौती	1332116.80	1332116.80
6	योग (1+2+3+4-5)	8620472.94	8794004.91
7	उ0प्र0 जल निगम को आवंटित की जाने वाली धनराशि	19009516.44 + 2329937.17 (Centage) + 2795924.59 (GST) = 24135378.20	
8	आवंटित की जाने वाली धनराशि में से एस्क्रो एकाउंट में प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम द्वारा जमा की जाने वाली धनराशि का विवरण		19009516.44

सदस्य सचिव/मुख्य अभियन्ता, ओ0एम0 एण्ड एम0 सेल द्वारा समिति के समक्ष रु0 2,41,35,378.20 (रु0 दो करोड़ इकतालीस लाख पैंतीस हजार तीन सौ अद्वार व पैसे बीस मात्र) की स्वीकृति शासन स्तर से (रु0 दो करोड़ इकतालीस लाख पैंतीस हजार तीन सौ अद्वार व पैसे बीस मात्र) की स्वीकृति शासन स्तर से प्रदान करने व शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि को प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम को आवंटित करने हेतु तथा प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम द्वारा इन्हीं देयको से मेजर रिप्लेसमेन्ट फण्ड के सापेक्ष माह सितम्बर-21 तक लम्बित कुल धनराशि रु0 6,60,58,234.25 (रु0 छ: करोड़ साठ लाख अटठावन हजार दो सौ चौंतीस व पैसे पच्चीस मात्र) हेतु रु0 1,90,09,516.44 (रु0 एक करोड़ नब्बे लाख नौ हजार पांच सौ सोलह व चौंतीस मात्र) की कटौती कर एस्क्रो एकाउंट में अंतरित करने एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, पैसे चौवालीस मात्र) की कटौती कर एस्क्रो एकाउंट में अंतरित करने वाली अवशेष धनराशि रु0 4,70,48,717.82 (रु0 6,60,58,234.25 लखनऊ द्वारा एस्क्रो एकाउंट में अंतरित करने वाली अवशेष धनराशि रु0 4,70,48,717.82) हेतु नोटिस जारी कर आवश्यक कार्यवाही हेतु मुख्य अभियन्ता/सदस्य सचिव, ओ0एम0 एण्ड एम0 सेल द्वारा संस्तुति की जाती है।

समिति का निर्णय:- मुख्य अभियन्ता/सदस्य सचिव, ओ0एम0एण्ड एम0 सेल द्वारा उपरोक्तानुसार समिति के समक्ष की गयी संस्तुति के क्रम में पैकेज-5, गोरखपुर जोन हेतु कुल धनराशि रु0 2,41,35,378.20 (रु0 दो करोड़ इकतालीस लाख पैंतीस हजार तीन सौ अद्वार व पैसे बीस मात्र) की स्वीकृति शासन स्तर से प्रदान करने व शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि को प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम को आवंटित करने हेतु तथा प्रबन्ध

निदेशक, उ0प्र0 जल निगम द्वारा इन्हीं देयको से मेजर रिलेसमेन्ट फण्ड के सापेक्ष माह सितम्बर-21 तक लम्बित कुल धनराशि रु0 6,60,58,234.25 (रु0 छ: करोड़ साठ लाख अट्ठावन हजार दो सौ चौंतीस व पैसे पच्चीस मात्र) हेतु रु0 1,90,09,516.44 (रु0 एक करोड़ नब्बे लाख नौ हजार पांच सौ सोलह व पैसे चौवालीस मात्र) की कटौती कर एस्क्रो एकाउंट में अंतरित करने एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ द्वारा ऐस्क्रो एकाउंट में अंतरित करने वाली अवशेष धनराशि रु0 4,70,48,717.82 (रु0 6,60,58,234.25 – 1,90,09,516.44 = रु0 4,70,48,717.82) हेतु नोटिस जारी कर आवश्यक कार्यवाही हेतु समिति द्वारा सर्वसम्मति से सहमति व्यक्त की गयी। ट्रीटेड सीवेज की क्वालिटी कई बार निर्धारित मानक के अनुसार प्राप्त न होने के दृष्टिगत समिति द्वारा निर्देश दिये गये कि कार्यदायी संस्था द्वारा एस0टी0पी0 के संचालन निर्धारित मानक व गुणवत्ता के साथ सुनिश्चित कराया जाये।

सदस्य सचिव/मुख्य अभियन्ता, ओ0एम0 एण्ड एम0 सेल द्वारा प्रस्तावित Mobilization Advance की संशोधित रिकवरी दर के अनुसार रिकवरी, जी0एस0टी0 की संशोधित गणना को इस बैठक से पूर्व की बैठकों में प्रस्तुत RA Bills से भी तदनुसार सुनिश्चित करते हुये संशोधित भुगतान आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाए। (कार्यवाही— मुख्य अभियन्ता/सदस्य सचिव, ओ0एम0एण्ड एम0/उ0प्र0 शासन/उ0प्र0 जल निगम)

एजेन्डा (iii) महाप्रबन्धक, यमुना प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ0प्र0 जल निगम, आगरा के पत्र संख्या-2261 / Payment O&M VATech Wabag/77 दिनांक 12.10.2021, एवं पत्र संख्या-2260 / Payment O/M VA Tech Wabag/76 दिनांक 12.10.2021 द्वारा क्रमशः माह जुलाई एवम् अगस्त-2021 हेतु फर्म – M/s VA Tech Wabag Limited द्वारा आगरा जोन में प्रदान की गयी सेवाएँ एवं कराये गये कार्यों के सापेक्ष उ0प्र0 जल निगम से प्राप्त पेमेन्ट सर्टिफिकेट/बिलों का विवरण निम्नानुसार है :

क्र0सं0	पेमेन्ट सर्टिफिकेट/बिल का विवरण	उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा प्रमाणित धनराशि, (रूपये में)
1	17 th Payment Certificate / Bill -April, 2021 (Release of with held amount only)	रु0 17,98,996.68 (फर्म को भुगतान रु0 14,74,587.45 + जी0एस0टी0 रु0 1,76,950.49 + 10 % सेन्टेज रु0 1,47,458.74)
2	20 th Payment Certificate / Bill -July, 2021	रु0 2,39,40,966.58 (फर्म को भुगतान रु0 2,25,49,992.42 + जी0एस0टी0 रु0 2705999.09 + 10 % सेन्टेज रु0 2254999.24) - Mobilization Advance Rs. 3570024.17
3	21 th Payment Certificate / Bill -August, 2021	रु0 2,31,89,399.23 (फर्म को भुगतान रु0 2,19,33,953.61 + जी0एस0टी0 रु0 2632074.43 + 10 % सेन्टेज रु0 2193395.36) - Mobilization Advance Rs. 3570024.17

उक्त पेमेन्ट सर्टिफिकेट/बिलों का ओ0एम0 एण्ड एम0 सेल द्वारा परीक्षण एवं परीक्षणोपरान्त समिति के समक्ष प्रस्तावित भुगतान हेतु संस्तुति निम्नवत् है:-

महाप्रबन्धक, य0प्र0नि0इकाई, उ0प्र0 जल निगम, आगरा एवं परियोजना प्रबन्धक, य0प्र0नि0इकाई, उ0प्र0 जल निगम, आगरा द्वारा जुलाई-2021 व अगस्त-2021 के सत्यापित पेमेन्ट सर्टिफिकेट/बिल प्रमाणित कर प्रेषित किये गये हैं। प्रयोगशाला की टेस्ट रिपोर्ट, एन.ए.बी.एल एक्रिएटेड लैब की टेस्ट रिपोर्ट, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा एकत्रित किये गये सैम्पल के टेस्ट रिपोर्ट के आधार पर जल निगम द्वारा अनुबंध की क्लाज-39 सेक्शन -IV के अनुसार एस0टी0पी0 वाईज क्वांटीटी एवं क्वालिटी की गणना की गयी है।

निदेशालय में गठित ओ0एम0एण्डएम0 सेल के कन्सल्टेंट (संजय कुमार सिंह), मुख्य अभियन्ता (मनीष कुमार सिंह), अधिशासी अभियन्ता (सौरभ श्रीवास्तव) एवं सहायक लेखाकार (गौरव त्रिपाठी) द्वारा महाप्रबन्धक, उत्तर प्रदेश जल निगम, आगरा द्वारा प्रेषित उक्त बिलों का परीक्षण किया गया। परीक्षण में विषंगतियाँ पायी गयी।

(अ) अनुबंध के Section-II के क्लाज संख्या-34.2 में Mobilization Advance की रिकवरी किये जाने के संबंध में निम्नानुसार वर्णित है:-

"34.2- The Mobilization Advance shall be recovered on monthly installment basis @10% per amount of Mobilization Advance. The installments shall commence when 10% (12 Months) of the scheduled contract period has elapsed and fully recovered before when 20% (24 months) of scheduled contract period is over, both from date of start. (The month of start & completion of recovery of Mobilization Advance to be rounded off to nearest fully month.)"

उक्त क्लाज के अनुसार Mobilization Advance की recovery प्रत्येक माह 10 प्रतिशत की दर से 13वें महीने से प्रारंभ कर 24वें महीने के पहले तक पूर्ण की जानी चाहिये परन्तु अभी तक प्रत्येक माह रिकवरी निम्नानुसार की जा रही है।

फर्म को दिये Mobilization Advance की धनराशि - A

प्रतिमाह काटी जा रही धनराशि = A

¹²

इस प्रकार प्रत्येक माह मात्र 8.33 प्रतिशत की ही कटौती की जा रही है जो अनुबंध में वर्णित कटौती की दर 10 प्रतिशत से कम है।

(ब) उक्त समस्त RA Bills से Mobilization Advance की कटौती करने के उपरान्त जी0एस0टी0 की गणना की गयी है, जब कि Certified value की धनराशि पर सर्वप्रथम जी0एस0टी0 की गणना करने के उपरान्त Mobilization Advance की कटौती की जानी चाहिये। अनुबंध के सेक्शन-2 के क्लाज-5.4 में 5 प्रतिशत escalation का प्राविधान है। इसी प्रकार 5 प्रतिशत escalation की गणना समस्त कटौतियाँ (LD एवं Mobilization Advance) के उपरान्त की गयी है, जबकि 5 प्रतिशत escalation की गणना Certified Value (सर्टिफाइड बिल) अर्थात् एल0डी0 की कटौती के उपरान्त देय धनराशि पर की जानी चाहिये, तत्पश्चात Mobilization Advance की कटौती की जानी चाहिये।

उपरोक्त (अ) व (ब) पर दिये गये तथ्यों के अनुसार आगरा जोन जुलाई-2021 व अगस्त-2021 के भुगतान की संस्तुति की गयी।

आगरा जोन में स्थित कुल 7 नग एस0टी0पी0 का ट्रीटेड सीवेज जुलाई-2021 व अगस्त-2021 तक क्वालिटी हेतु निर्धारित मानक के सापेक्ष निम्न आवृत्ति के अनुसार असफल हुआ है।

- 10 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0, पिलाखार - बी0ओ0डी0-12 बार, टी0एस0एस0-12 बार
- 2.25 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0, बुढ़ी का नगला- बी0ओ0डी0-3 बार, टी0एस0एस0-10 बार
- 14 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0, जगनपुर- टी0एस0एस0-11 बार,

आगरा जोन के 7 एस0टी0पी0 में उपरोक्त (अ) एवं (ब) के तथ्यों के आलोक में क्वालिटी एवं क्वांटिटी के सापेक्ष की गयी कटौतियाँ का विवरण निम्नवत् है:-

मह	उ0प्र0 जल निगम द्वारा प्रेषित बिल की धनराशि	मोबिलाईजेशन एडवांइस हेतु कटौती	क्वांटिटी एवं पैरामीटर के सापेक्ष एल0डी0 की कुल कटौती	कुल कटौतियाँ (मोबिलाईजेशन एडवांइस, क्वांटिटी एवं पैरामीटर के सापेक्ष एल0डी0 सहित
1	2	3	4	5 = (3+4)
आगरा जोन				
अप्रैल-2021 (Release of with held amount only)	1798996.68	0.00	0.00	0.00
जुलाई-2021	25046207.26	9282062.83	3581751.92	12863814.75
अगस्त-2021	24459503.63	4284029.00	3597263.03	7881292.03
योग	51304707.57	13566091.83	7179014.95	20745106.78

उपरोक्तानुसार जून-2021 तक मोबिलाईजेशन एडवांस की कटौती रु0 2,99,88,203.00 की जानी थी जिसके सापेक्ष रु0 2,49,90,169.17 की कटौती जून-2021 तक की गयी है। इस प्रकार जून-2021 तक बकाया मोबिलाईजेशन एडवांस रु0 49,98,033.83 माह जुलाई-2021 से एकमुश्त काट ली गयी है एवं जुलाई-2021



से अगस्त-2021 तक 2 माह की मोबिलाइजेशन की कटौती ₹0 85,68,058.00 कर ली गयी है, अर्थात् कुल ₹0 1,35,66,091.83 की कटौती की गयी है।

मुख्य अभियन्ता/सदस्य सचिव, ओ०एम० एण्ड एम० सेल द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि अनुबंध के Section-II के प्रस्तर-34 के अनुसार मेसर्स VA Tech Wabag को मोबिलाइजेशन एडवांस (अनुबंध की वार्षिक धनराशि का 10 प्रतिशत) ₹0 4,28,40,290.00 (₹0 चार करोड़ अठाइस लाख चालीस हजार दो सौ नब्बे मात्र) भुगतान किया गया है जिसकी 10 किश्तों के सापेक्ष 8th & 9th किश्त की देयता जुलाई एवं अगस्त-2019 से है। इसकी कटौती जल निगम द्वारा जुलाई-2021 के बिल से ₹0 92,82,206.83 (₹0 बानवे लाख बयासी हजार दो सौ छः व पैसे तिरासी मात्र) तथा अगस्त-2021 के बिल से प्रतिमाह ₹0 42,84,029.00 (₹0 बयालीस लाख चौरासी हजार उनतीस मात्र) के बिल में ओ०एम० एण्ड एम० सेल द्वारा की गयी है। क्वांटिटी एवं पैरामीटर के सापेक्ष एल०डी० की कुल कटौती ₹0 2,07,45,106.78 ओ०एम० एण्ड एम० सेल द्वारा की गयी है। वर्तमान में मात्र 10 किश्त की धनराशि ₹0 42,84,029.00 मात्र अवशेष है।

मुख्य अभियन्ता/सदस्य सचिव, ओ०एम० एण्ड एम० सेल द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि अनुबंध के Section-II के प्रस्तर-2.8 अनुसार फर्म को एस्क्रो एकाउन्ट में प्रतिवर्ष ₹0 7.00 करोड़ की धनराशि (5 प्रतिशत प्रतिवर्ष एस्केलेशन के उपरान्त) अपने देयकों से प्रतिमाह जमा की जानी अपेक्षित है। फर्म द्वारा जुलाई-2021 व अगस्त-2021 तक की वांछित धनराशि ₹0 12,21,61,290.32 (₹0 बारह करोड़ इक्कीस लाख इक्सठ हजार दो सौ नब्बे व पैसे बतीस मात्र) जिसके सापेक्ष फर्म ने मात्र ₹0 8,51,77,424.00 (₹0 आठ करोड़ इक्कावन लाख सतहतर हजार चार सौ चौबीस मात्र) जमा किये हैं तथा दिनांक 16.08.2021 सम्पन्न हुयी बैठक में प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम (नगरीय), लखनऊ को ₹0 2,47,33,866.32 (₹0 दो करोड़ सैंतालीस लाख तौंतीस हजार आठ सौ छियासठ व पैसे बतीस मात्र) की धनराशि एस्क्रो एकाउन्ट में जमा किये जाने हेतु अवमुक्त की जा चुकी है एवं वर्तमान में ₹0 1,22,50,000.00 (₹0 एक करोड़ बाइस लाख पचास हजार मात्र) फर्म को एस्क्रो एकाउन्ट में जमा किया जाना अवशेष है।

ओ०एम० एण्ड एम० सेल द्वारा की गयी संस्तुति निम्नवत् है:-

उपरोक्तानुसार की गयी कटौतियों के उपरान्त ओ०एम० एण्ड एम० सेल द्वारा निम्न विवरण के अनुसार उ०प्र० जल निगम को भुगतान हेतु आवंटित किये जाने की संस्तुति निम्नानुसार की जाती है:-

क्र. स.	पेमेन्ट सर्टिफिकेट / बिल का विवरण	17 th Payment Certificate/ Bill- April, 2021 (Rs.) (Release of withheld amount only)	20 th Payment Certificate/ Bill- July, 2021 (Rs.)	21 th Payment Certificate/ Bill- August, 2021 (Rs.)
1-	पेमेन्ट सर्टिफिकेट / बिल के सापेक्ष अवमुक्त की जाने वाली धनराशि	1474587.45	23105093.82	22671024.08
2-	जी.एस.टी. (12 प्रतिशत)	176950.49	2772611.26	2720522.89
3-	फ्यूल चार्जस (As per actual certified by UPJN)	0.00	0.00	0.00
4-	उ०प्र० जल निगम को देय सेन्टेज / सुपरवीजन चार्जस (10 प्रतिशत)	147458.745	231059.38	2267102.41
5	मोबिलाइजेशन एडवांस की कटौती	0.00	9282206.83	4284029.00
6	योग (1+2+3+4-5)	1798996.69	18906007.63	24633934.38
7	उ०प्र० जल निगम को आवंटित की जाने वाली धनराशि		4,53,38,938.70	
8	आवंटित की जाने वाली धनराशि में से एस्क्रो एकाउन्ट में प्रबन्ध		1,22,50,000.00	

निदेशक, उ०प्र० जल निगम द्वारा जमा की जाने वाली धनराशि का विवरण	
--	--

सदस्य सचिव/मुख्य अभियन्ता, ओ०एम० एण्ड एम० सेल द्वारा समिति के समक्ष रु० 4,53,38,938.70 (रु० चार करोड़ तिरेपन लाख अट्ठीस हजार नौ सौ अठ्ठीस व पैसे सत्तर मात्र) की स्वीकृति शासन स्तर से प्रदान करने व शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि को प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम को आवंटित करने हेतु तथा प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम द्वारा इन्हीं देयको से मेजर रिप्लेसमेन्ट फण्ड के सापेक्ष माह अगस्त-2021 तक लम्बित कुल धनराशि रु० 1,22,50,000.00 (रु० एक करोड़ बाइस लाख पचास हजार मात्र) की शत-प्रतिशत कटौती कर एस्क्रो एकाउंट में अंतरित करने हेतु मुख्य अभियन्ता/सदस्य सचिव, ओ०एम० एण्ड एम० सेल द्वारा की जाती है।

समिति का निर्णय:- सदस्य सचिव/मुख्य अभियन्ता ओ०एम०एण्ड एम० सेल द्वारा उपरोक्तानुसार समिति के समक्ष की गयी संस्तुति के क्रम में पैकेज-6, आगरा जोन हेतु कुल धनराशि रु० 4,53,38,938.70 (रु० चार करोड़ तिरेपन लाख अट्ठीस हजार नौ सौ अठ्ठीस व पैसे सत्तर मात्र) की स्वीकृति शासन स्तर से प्रदान करने व शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि को प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम को आवंटित करने तथा प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम द्वारा इन्हीं देयको से मेजर रिप्लेसमेन्ट फण्ड के सापेक्ष माह अगस्त-2021 तक लम्बित कुल धनराशि रु० 1,22,50,000.00 (रु० एक करोड़ बाइस लाख पचास हजार मात्र) की शत-प्रतिशत कटौती कर एस्क्रो एकाउंट में अंतरित करने हेतु समिति द्वारा सर्वसम्मति से सहमति व्यक्त की गयी। ट्रीटेड सीवेज की क्वालिटी कई बार निर्धारित मानक के अनुसार प्राप्त न होने के दृष्टिगत समिति द्वारा निर्देश दिये गये कि कार्यदायी संस्था द्वारा एस०टी०पी० के संचालन निर्धारित मानक व गुणवत्ता के साथ सुनिश्चित कराया जाये।

सदस्य सचिव/मुख्य अभियन्ता, ओ०एम० एण्ड एम० सेल द्वारा प्रस्तावित Mobilization Advance की संशोधित रिकवरी दर के अनुसार रिकवरी, जी०एस०टी० की संशोधित गणना को इस बैठक से पूर्व की बैठकों में प्रस्तुत RA Bills से भी तदनुसार सुनिश्चित करते हुये संशोधित भुगतान आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाए।
 कार्यवाही— मुख्य अभियन्ता/सदस्य सचिव, ओ०एम०एण्ड एम०/उ०प्र० शासन/उ०प्र० जल निगम)

एजेन्डा (iv) (1) महाप्रबन्धक, यमुना प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ०प्र० जल निगम, गाजियाबाद के पत्र संख्या-1552/वन सिटी वन आपरेटर/279 दिनांक 15.08.2021, पत्र संख्या-3085/एस०टी०पी० रखरखाव दिनांक 01.10.2021, पत्र पत्र संख्या-3142/भुगतान दिनांक 11.10.2021 एवं पत्र संख्या-3267/एस०टी०पी० रखरखाव दिनांक 23.10.2021 द्वारा माह जून-2021 (अवशेष), जुलाई-2021, अगस्त-2021 एवं सितम्बर-2021 हेतु फर्म मेसर्स VA Tech Wabag Limited द्वारा गाजियाबाद जोन में प्रदान की गयी सेवाएँ एवं कराये गये कार्यों के सापेक्ष उत्तर प्रदेश जल निगम से प्राप्त पैमेन्ट सर्टिफिकेट/बिलों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र०सं०	पैमेन्ट सर्टिफिकेट/बिल का विवरण	उत्तर प्रदेश जलनिगम द्वारा प्रमाणित पैमेन्ट सर्टिफिकेट/बिल की धनराशि, (रूपये में)
गाजियाबाद जोन		
1	14 th Payment Certificate /Bill- January, 2021	रु० 7,36,46,143.22 (फर्म को भुगतान रु० 5,97,53,657.55 + जीएसटी रु० 71,70,438.91 + डीजल रु० 7,46,681.00) 10% सेन्टेज रु० 59,75,365.76)
2	16 th Payment Certificate /Bill- March, 2021	रु० 8,40,40,908.01 (फर्म को भुगतान रु० 6,80,16,819.30 + जीएसटी रु० 81,62,018.32 + डीजल रु० 10,60,388.46) + 10% सेन्टेज रु० 68,01,681.93)

3	18 th Payment Certificate /Bill- May, 2021	रु0 8,32,23,612.15 (फर्म को भुगतान रु0 6,73,02,303.40 + जीएसटी रु0 80,76,276.41 + डीजल रु0 11,14,802.00) + 10% सेन्टेज रु0 6730230.34)
4	19 th Payment Certificate /Bill- June, 2021	रु0 8,66,12,457.13 (फर्म को भुगतान रु0 6,84,56,628.57 + जीएसटी रु0 9264077.37 + डीजल रु0 11,71,686.72) + 10% सेन्टेज रु0 7720064.47)
5	20 th Payment Certificate /Bill- July, 2021	रु0 7,84,62,519.15 (फर्म को भुगतान रु0 6,15,24,638.19 + जीएसटी रु0 8432238.52 + डीजल रु0 14,78,777.00) + 10% सेन्टेज रु0 7026865.44)
6	21 th Payment Certificate /Bill- August, 2021	रु0 8,27,81,894.64 (फर्म को भुगतान रु0 6,53,03,187.37 + जीएसटी रु0 8885664.42 + डीजल रु0 11,88,322.50) + 10% सेन्टेज रु0 7404720.35)
7	22 th Payment Certificate /Bill- September, 2021	रु0 8,11,25,721.73 (फर्म को भुगतान रु0 65818864.15 + जीएसटी रु0 7898263.70 + डीजल रु0 826707.46) + 10% सेन्टेज रु0 6581886.42)

एजेन्डा (iv) (2) मेसर्स वीए० टैक वाबाग, लि�० द्वारा अपने पत्र संख्या-VATW/2021-2022/PKG-8/LKO/OMM/154 दिनांक 17.09.2021 द्वारा अवगत कराया गया है कि निम्नानुसार कुछ RA BILLS में टंकण त्रुटि के कारण फर्म को कम भुगतान प्राप्त हुआ है जो विवरण निम्नानुसार है:-

क्र०	एस०टी०पी० जिस पर टंकण त्रुटि हुयी	विवरण
1	74 MLD इन्दिरापुरम STP—जनवरी 2021 के बिल से	यह एस०टी०पी० माह सितम्बर—2020 में कमीशन हुआ था एवं पूर्ण रूप से जनवरी—2021 से ऑपरेशनल हुआ। उ०प्र० जल निगम द्वारा भी 1 जनवरी से 31.01.2021 तक सर्टिफाई किया गया है। परन्तु ओ०ए० एंड ए० सेल द्वारा 12 जनवरी 2021 से सर्टिफाई करने के कारण रु0 29,96,280.00 का कम भुगतान हुआ है।
2	70 MLD ढूँडाहेड़ा STP—जनवरी 2021 के बिल से	अनुबंध के अनुसार टी०ए०स० हेतु वेटेज 25 प्रतिशत का है परन्तु गलती से 12.5 प्रतिशत किया गया है जिसके कारण रु0 4,49,405.00 का कम भुगतान हुआ है।
3	70 MLD ढूँडाहेड़ा STP—मई 2021 के बिल से	अनुबंध के अनुसार टी०ए०स० हेतु वेटेज 25 प्रतिशत का है परन्तु गलती से 12.5 प्रतिशत किया गया है जिसके कारण रु0 6,96,578.00 का कम भुगतान हुआ है।
4	56 MLD ढूँडाहेड़ा STP—मई 2021 के बिल से	अनुबंध के अनुसार टी०ए०स० हेतु वेटेज 25 प्रतिशत का है परन्तु गलती से 12.5 प्रतिशत किया गया है जिसके कारण रु0 5,57,263.00 का कम भुगतान हुआ है।
5	गाजियाबाद जोन के मार्च—21 के बिल में कैरी फारवर्ड की गलती हुई है।	गाजियाबाद जोन के मार्च—2021 के बिल की गणना में Payable amount Rs. 69422931.03 के स्थान पर गलती से रु0 67919942.18 कैरी फारवर्ड होने के कारण रु0 1767515.00 कम भुगतान हुआ है।

उक्त पेमेन्ट सर्टिफिकेट / बिलों का ओ०ए० एंड ए० सेल द्वारा परीक्षण एवं परीक्षणोपरान्त समिति के समक्ष प्रस्तावित भुगतान हेतु संस्तुति निम्नवत् है:-

महाप्रबन्धक, य०प्र०नि०इकाई, उ०प्र० जल निगम, गाजियाबाद एवं परियोजना प्रबन्धक, य०प्र०नि०इकाई, उ०प्र० जल निगम, गाजियाबाद द्वारा जून—2021 (अवशेष), जुलाई—2021 एवं अगस्त—2021 के सत्यापित पेमेन्ट सर्टिफिकेट / बिल प्रेषित किये गये हैं। प्रयोगशाला की टेस्ट रिपोर्ट, एन.ए.बी.एल एक्रिएटेड लैब की टेस्ट रिपोर्ट, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा एकत्रित किये गये सैम्पल के टेस्ट रिपोर्ट के आधार पर जल निगम द्वारा अनुबंध की क्लाज 39 सेक्शन—IV के अनुसार एस०टी०पी० वार्ड व्हालिटी की गणना की गयी है।

निदेशालय में गठित ओ०एम०एण्डएम० सेल के कन्सल्टेंट (संजय कुमार सिंह), मुख्य अभियन्ता (मनीष कुमार सिंह), अधिशासी अभियन्ता (सौरभ श्रीवास्तव) एवं सहायक लेखाकार (गौरव त्रिपाठी) द्वारा महाप्रबन्धक, उत्तर प्रदेश जल निगम, गाजियाबाद द्वारा प्रेषित उक्त बिलों का परीक्षण किया गया। परीक्षण में विसंगतियाँ पायी गयी।

(अ) अनुबंध के Section-II के क्लाज संख्या-34.2 में Mobilization Advance की रिकवरी किये जाने के संबंध में निम्नानुसार वर्णित है:-

"34.2- The Mobilization Advance shall be recovered on monthly installment basis @10% per amount of Mobilization Advance. The installments shall commence when 10% (12 Months) of the scheduled contract period has elapsed and fully recovered before when 20% (24 months) of scheduled contract period is over, both from date of start & completion of recovery of Mobilization Advance to be rounded off to nearest full month."

उक्त क्लाज के अनुसार Mobilization Advance की recovery प्रत्येक माह 10 प्रतिशत की दर से 13वें महीने से प्रारंभ कर 24वें महीने के पहले तक पूर्ण की जानी चाहिये परन्तु अभी तक प्रत्येक माह रिकवरी निम्नानुसार की जा रही है।

फर्म को दिये Mobilization Advance की धनराशि - A

प्रतिमाह काटी जा रही धनराशि = A

12

इस प्रकार प्रत्येक माह मात्र 8.33 प्रतिशत की ही कटौती की जा रही है जो अनुबंध में वर्णित कटौती की दर 10 प्रतिशत से कम है।

(ब) उक्त समस्त RA Bills से Mobilization Advance की कटौती करने के उपरान्त जी०एस०टी० की गणना की गयी है, जब कि Certified value की धनराशि पर सर्वप्रथम जी०एस०टी० की गणना करने के उपरान्त Mobilization Advance की कटौती की जानी चाहिये। अनुबंध के सेवशन-2 के क्लाज-5.4 में 5 प्रतिशत escalation का प्राविधान है। इसी प्रकार 5 प्रतिशत escalation की गणना समस्त कटौतियाँ (LD एवं Mobilization Advance) के उपरान्त की गयी है, जबकि 5 प्रतिशत escalation की गणना Certified Value (सर्टिफाइड बिल) अर्थात् एल०डी० की कटौती के उपरान्त देय धनराशि पर की जानी चाहिये, तत्पश्चात् Mobilization Advance की कटौती की जानी चाहिये।

उपरोक्त (अ) व (ब) पर दिये गये तथ्यों के अनुसार गाजियाबाद जोन के माह जून-2021 (अवशेष), जुलाई-2021 से अगस्त-2021 के भुगतान भुगतान की संस्तुति की गयी।

गाजियाबाद जोन में स्थित कुल 15 नगर एस०टी०पी० का ट्रीटेड सीवेज जून-2021 (अवशेष), जुलाई-2021 से अगस्त-2021 तक क्वालिटी हेतु निर्धारित मानक के सापेक्ष निम्न आवृत्ति के अनुसार असफल हुआ है।

- 74 एम०एल०डी० एस०टी०पी०, इन्दिरापुरम-बी०ओ०डी०-१ बार, टी०एस०एस०-२ बार, FC-92 बार
- 56 एम०एल०डी० एस०टी०पी०, इन्दिरापुरम - सी०ओ०डी०-३ बार, FC-92 बार
- 70 एम०एल०डी० एस०टी०पी०, झूंडाहेड़ा - सी०ओ०डी०-१ बार, टी०एस०एस०-१ बार FC-92 बार
- 56 एम०एल०डी० एस०टी०पी०, झूंडाहेड़ा - FC-92 बार
- 3 एम०एल०डी० एस०टी०पी०, पिलखुआ - FC-21 बार
- 30 एम०एल०डी० एस०टी०पी०, लोनी - बी०ओ०डी०-४ बार, टी०एस०एस०-२७ बार, FC-73 बार
- 72 एम०एल०डी० एस०टी०पी०, मेरठ - बी०ओ०डी०-३६ बार, सी०ओ०डी०-३६ बार, टी०एस०एस०-३६ बार, FC-9 बार
- 38 एम०एल०डी० एस०टी०पी०, सहारनपुर - FC- 9 बार
- 32.5 एम०एल०डी० एस०टी०पी०, मुजफ्फरनगर-बी०ओ०डी०-२ बार, सी०ओ०डी०- 69 बार, टी०एस०एस०-१ बार, FC- 92 बार
- 0.81 एम०एल०डी० एस०टी०पी०, बुलंदशहर- बी०ओ०डी०-१० बार, सी०ओ०डी०-३७ बार, टी०एस०एस०-२० बार, FC-92 बार

- 1.76 एम०एल०डी० एस०टी०पी०, बुलंदशहर –बी०ओ०डी०–16 बार, सी०ओ०डी०–46 बार, टी०एस०एस०–35 बार, FC-92 बार
- 15 एम०एल०डी० एस०टी०पी०, रामपुर – FC- 92 बार
- 14 एम०एल०डी० एस०टी०पी०, रामपुर – सी०ओ०डी०–2 बार, FC-15 बार
- 5 एम०एल०डी० एस०टी०पी०, रामपुर – बी०ओ०डी०–1 बार, टी०एस०एस०–2 बार
- 24 एम०एल०डी० एस०टी०पी०, बिजनौर – टी०एस०एस०–28 बार, FC- 14 बार

गाजियाबाद जोन के 15 एस०टी०पी० में उपरोक्त (अ) एवं (ब) के तथ्यों के आलोक में क्वालिटी एवं क्वांटिटी के सापेक्ष की गयी कटौतियों का विवरण निम्नवत् है:-

माह	उ०प्र० जल निगम द्वारा प्रेषित बिल की धनराशि	मोबिलाईजेशन एडवांइस हेतु कटौती	क्वांटिटी एवं पैरामीटर के सापेक्ष एल०डी० की कुल कटौती	कुल कटौतियाँ (मोबिलाईजेशन एडवांइस, क्वांटिटी एवं पैरामीटर के सापेक्ष एल०डी० सहित
1	2	3	4	5 = (3+4)
गाजियाबाद जोन				
जून 2021 (अवशेष)	77966140.24	12241622.63	7422331.90	19663954.53
जुलाई–2021	78100202.24	10492819.40	13248999.46	23741818.86
अगस्त–2021	79391863.30	10492819.40	12506226.60	22999046.00
सितम्बर–2021 (Adhoc Payment)	72381705.56	10492819.40	0.00	0.00
योग	235458205.78	43720080.83	33177557.96	66404819.39

उपरोक्तानुसार जून–2021 तक मोबिलाईजेशन एडवांस की कटौती रु० 7,34,49,735.80 की जानी थी जिसके सापेक्ष रु० 6,12,08,113.17 की कटौती जून–2021 तक की गयी है। इस प्रकार जून–2021 तक बकाया मोबिलाईजेशन एडवांस रु० 1,22,41,622.63 माह जून–2021 से एकमुश्त काट ली गयी है एवं जुलाई–2021 से सितम्बर–2021 तक 3 माह की मोबिलाईजेशन की कटौती रु० 3,14,78,458.20 कर ली गयी है, अर्थात् कुल रु० 4,37,20,080.83 की कटौती की गयी है।

सदस्य सचिव / मुख्य अभियन्ता, ओ०एण्ड एम० सेल द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि अनुबंध के Section-II के प्रस्तर–34 के अनुसार मेसर्स VA Tech Wabag को मोबिलाईजेशन एडवांस (अनुबंध की वार्षिक धनराशि का 10 प्रतिशत) रु० 104928195.00 (रु० दस करोड़ उनचास लाख अट्ठाईस हजार एक सौ पन्चानवे) भुगतान किया गया है जिसकी 10 किश्तों के सापेक्ष 8th, 9th & 10th किश्त की देयता जून, जुलाई, अगस्त व सितम्बर–2021 से है। इसकी कटौती उ०प्र० जल निगम द्वारा 7th, 8th, 9th & 10th किश्त की कटौती जून–2021, जुलाई–2021, अगस्त–2021 व सितम्बर–2021 प्रतिमाह रु० 87,44,016.17 की कटौती की गयी है। ओ०एम० एण्ड एम० सेल द्वारा जून–2021 के बिल से रु० 1,22,41,622.63 एवं जुलाई–2021, अगस्त–2021 व सितम्बर–2021 के बिल से प्रतिमाह रु० 1,04,92,819.40 की कटौती की गयी है। इसके उपरान्त मोबिलाईजेशन एडवांस की कटौती नहीं होगी। क्वांटिटी एवं पैरामीटर के सापेक्ष एल०डी० की कुल कटौती रु० 6,64,04,819.39 ओ०एम० एण्ड एम० सेल द्वारा की गयी है।

सदस्य सचिव / मुख्य अभियन्ता, ओ०एम० एण्ड एम० सेल द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि अनुबंध के Section-II के प्रस्तर–2.8 अनुसार फर्म को एस्क्रो एकाउन्ट में प्रतिवर्ष रु० 7.00 करोड़ की धनराशि (5 प्रतिशत प्रतिवर्ष एस्केलेशन के उपरान्त) अपने देयकों से प्रतिमाह जमा की जानी अपेक्षित है। फर्म द्वारा वांछित धनराशि रु० 12,82,86,290.32 (रु० बारह करोड़ बयासी लाख छियासी हजार दो सौ नब्बे व बतीस मात्र) के सापेक्ष फर्म ने मात्र रु० 7,92,86,040.00 (रु० सात करोड़ बानवे लाख छियासी हजार चालीस मात्र) जमा किये हैं तथा दिनांक 16.08.2021 सम्पन्न हुयी बैठक में प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम (नगरीय), लखनऊ को रु० 2,90,94,000.32 (रु० दो करोड़ नब्बे लाख चौरानवे हजार व पैसे बतीस मात्र) की धनराशि एस्क्रो एकाउन्ट में जमा किये जाने हेतु अवमुक्त की जा चुकी है एवं वर्तमान में रु० 1,99,06,250.00 (रु० एक करोड़ निन्यानवे लाख छः हजार दो सौ पचास मात्र) फर्म को एस्क्रो एकाउन्ट में जमा किया जाना अवशेष है।

ओ०ए० ए०ड ए०म० सेल द्वारा की गयी संस्तुति निम्नवत् है:-

उपरोक्तानुसार की गयी कटौतियों के उपरान्त ओ०ए० ए०ड ए०म० सेल द्वारा निम्न विवरण के अनुसार उ०प्र० जल निगम को भुगतान हेतु आवंटित किये जाने की संस्तुति निम्नानुसार की जाती है:

क्र. स.	पेमेन्ट सर्टिफिकेट / बिल का विवरण	14 th Payment Certificate /Bill- January, 2021	16 th Payment Certificate /Bill- Mar, 2021	18 th Payment Certificate /Bill- May, 2021	19 th Payment Certificate/ Bill-June,-2021 (Rs.) (Balance payment)	20 th Payment Certificate/ Bill- July, 2021 (Rs.)	21 th Payment Certificate/ Bill- August 2021 (Rs.)	22 th Payment Certificate/ Bill- September 2021 (Rs.) (Adhoc Payment)
1-	पेमेन्ट सर्टिफिकेट / बिल के सापेक्ष अवमुक्त की जाने वाली धनराशि	3230330.00	1578138.29	1175476.84	22787358.14	66858916.71	66873260.13	47013474.40
2-	जी.एस.टी. (12 प्रतिशत)	387639.71	189376.59	141057.22	2734482.97	8023070.01	8024791.22	5641616.93
3-	फ्यूल चार्जस (As per actual Certified by UPJN)	0.00	0.00	0.00	0.00	1478777.00	1188322.50	826707.46
4-	उ०प्र० जल निगम को देय सेन्टेज / सुपरवीजन चार्जस (10 प्रतिशत)	323033.09	157813.83	117547.68	2278735.81	6685891.67	6687326.00	4701347.44
5	मोबिलाइजेशन एडवांस की कटौती	0.00	0.00	0.00	12241722.63	10492819.40	10492819.40	10492819.40
6	योग (1+2+3+4-5)	3941003.00	1925328.71	1434081.74	15558954.29	72553835.99	72280880.46	47690326.82
7	उ०प्र० जल निगम को आवंटित की जाने वाली धनराशि					21,53,84,411.75		
8	आवंटित की जाने वाली धनराशि में से एस्क्रो एकाउंट में प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम द्वारा जमा की जाने वाली धनराशि का विवरण					1,99,06,250.00		

सदस्य सचिव / मुख्य अभियन्ता, ओ०ए० ए०ड ए०म० सेल द्वारा समिति के समक्ष रु 21,53,84,411.75 (रु० इक्कीस करोड़ तिरपन लाख चौरासी हजार चार सौ ग्यारह व पैसे पचहत्तर मात्र) की स्वीकृति शासन स्तर से प्रदान करने व शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि को प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम को आवंटित करने हेतु तथा तथा प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम द्वारा इन्हीं देयकों से मेजर रिप्लेसमेन्ट फण्ड के सापेक्ष माह जुलाई, अगस्त व सितम्बर-2021 तक लम्बित कुल धनराशि रु० 1,99,06,250.00 (रु० एक करोड़ निन्यानवे लाख छः हजार दो सौ पचास हजार मात्र) की शत-प्रतिशत कटौती कर एस्क्रो एकाउंट में अंतरित करने हेतु मुख्य अभियन्ता / सदस्य सचिव, ओ०ए० ए०ड ए०म० सेल द्वारा की जाती है।

समिति का निर्णय:- सदस्य सचिव / मुख्य अभियन्ता ओ०ए०ए०ड ए०म० सेल द्वारा उपरोक्तानुसार समिति के समक्ष की गयी संस्तुति के क्रम में पैकेज-6, गाजियाबाद जोन हेतु कुल धनराशि रु० 21,53,84,411.75 (रु० इक्कीस करोड़ तिरपन लाख चौरासी हजार चार सौ ग्यारह व पैसे पचहत्तर मात्र) की स्वीकृति शासन स्तर से प्रदान करने व शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि को प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम को आवंटित करने तथा प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम द्वारा इन्हीं देयकों से मेजर रिप्लेसमेन्ट फण्ड के सापेक्ष माह अगस्त-2021

तक लम्बित कुल धनराशि रु० 1,99,06,250.00 (रु० एक करोड़ निन्यानवे लाख छः हजार दो सौ पचास हजार मात्र) की शत-प्रतिशत कटौती कर एस्क्रो एकाउन्ट में अंतरित करने हेतु समिति द्वारा सर्वसम्मति से सहमति व्यक्त की गयी। ट्रीटेड सीवेज की क्वालिटी कई बार निर्धारित मानक के अनुसार प्राप्त न होने के दृष्टिगत समिति द्वारा निर्देश दिये गये कि कार्यदायी संस्था द्वारा एस०टी०पी० के संचालन निर्धारित मानक व गुणवत्ता के साथ सुनिश्चित कराया जाये।

सदस्य सचिव/मुख्य अभियन्ता, ओ०एम० एण्ड एम० सेल द्वारा प्रस्तावित Mobilization Advance की संशोधित रिकवरी दर के अनुसार रिकवरी, जी०एस०टी० की संशोधित गणना को इस बैठक से पूर्व की बैठकों में प्रस्तुत RA Bills से भी तदनुसार सुनिश्चित करते हुये संशोधित भुगतान आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाए। (कार्यवाही— मुख्य अभियन्ता/सदस्य सचिव, ओ०एम०एण्ड एम०/उ०प्र० शासन/उ०प्र० जल निगम)

एजेन्डा (v) महाप्रबन्धक, गो०प्र०नि०इकाई, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ के पत्र संख्या—1812/AC-6/60 दिनांक 16.08.2021, पत्र संख्या 2187/एसी-6/73 दिनांक 22.09.2021 एवं पत्र संख्या 2315/एसी-6/75 दिनांक 11.10.2021 द्वारा लखनऊ जोन, पैकेज-4 के लिए जुलाई-2021, अगस्त-2021 एवं सितम्बर-2021 हेतु फर्म – M/s SUEZ India Pvt. Ltd. द्वारा लखनऊ जोन में प्रदान की गयी सेवाएँ एवं कराये गये कार्यों के सापेक्ष उत्तर प्रदेश जल निगम से प्राप्त पेमेन्ट सर्टिफिकेट/बिलों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र०सं०	पेमेन्ट सर्टिफिकेट/बिल का विवरण	उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा प्रमाणित धनराशि, (रूपये में)
1	21 th Payment Certificate/ Bill-July 2021	रु० 8,20,56,434.00 (फर्म को भुगतान रु० 66619889.00 + जीएसटी रु० 8137668.00 + डीजल रु० 517487.00) + 10 % सेन्टेज रु० 67,81,390.00
2	22 th Payment Certificate/ Bill-August 2021	रु० 8,26,32,455.00 (फर्म को भुगतान रु० 67099022.00 + जीएसटी रु० 8135388.00 + डीजल रु० 616675.00) + 10 % सेन्टेज रु० 67,81,390.00
3	23 th Payment Certificate/ Bill-September 2021	रु० 8,27,21,867.20 (फर्म को भुगतान रु० 67,09,84,90.60 + जीएसटी रु० 8135331.60 + डीजल रु० 706655.00) + 10 % सेन्टेज रु० 67,81,390.00
4	Deduction of Quantity /Penalty due to Covid-19 period (66 Days)	रु० 14800336.75 (फर्म को भुगतान रु० 12131423.57 + जीएसटी रु० 145577082) + 10 % सेन्टेज रु० 1213142.36

उक्त पेमेन्ट सर्टिफिकेट/बिलों का ओ०एम० एण्ड एम० सेल द्वारा परीक्षण एवं परीक्षणोपरान्त समिति के समक्ष प्रस्तावित भुगतान हेतु संस्तुति निम्नवत् है:-

महाप्रबन्धक, गो०प्र०नि०इकाई, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ एवं परियोजना प्रबन्धक, गो०प्र०नि०इकाई, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ द्वारा जुलाई-2021, अगस्त-2021 व सितम्बर-2021 के सत्यापित पेमेन्ट सर्टिफिकेट/बिल प्रमाणित प्रेषित किये गये हैं। प्रयोगशाला की टेस्ट रिपोर्ट, एन.ए.बी.एल एक्रिएटेड लैब की टेस्ट रिपोर्ट, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा एकत्रित किये गये सैम्पल के टेस्ट रिपोर्ट के आधार पर जल निगम द्वारा अनुबंध की क्लाज-39 सेक्शन-IV के अनुसार एस०टी०पी० वार्झ क्वालिटी की गणना की गयी है।

निदेशालय में गठित ओ०एम०एण्डएम० सेल के कन्सल्टेंट (संजय कुमार सिंह), मुख्य अभियन्ता (मनीष कुमार सिंह), अधिशासी अभियन्ता (सौरभ श्रीवास्तव) एवं सहायक लेखाकार (गौरव त्रिपाठी) द्वारा महाप्रबन्धक,

23

उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ द्वारा प्रेषित उक्त बिलों का परीक्षण किया गया। परीक्षण में विसंगतियाँ पायी गयी।

(अ) अनुबंध के Section-II के क्लाज संख्या-34.2 में Mobilization Advance की रिकवरी किये जाने के संबंध में निम्नानुसार वर्णित है:-

"34.2- The Mobilization Advance shall be recovered on monthly installment basis @10% per amount of Mobilization Advance. The installments shall commence when 10% (12 Months) of the scheduled contract period has elapsed and fully recovered before when 20% (24 months) of scheduled contract period is over, both from date of start. (The month of start & completion of recovery of Mobilization Advance to be rounded off to nearest full month.)"

उक्त क्लाज के अनुसार Mobilization Advance की recovery प्रत्येक माह 10 प्रतिशत की दर से 13वें महीने से प्रारंभ कर 24वें महीने के पहले तक पूर्ण की जानी चाहिये परन्तु अभी तक प्रत्येक माह रिकवरी निम्नानुसार की जा रही है।

फर्म को दिये Mobilization Advance की धनराशि - A

प्रतिमाह काटी जा रही धनराशि = A

12

इस प्रकार प्रत्येक माह मात्र 8.33 प्रतिशत की ही कटौती की जा रही है जो अनुबंध में वर्णित कटौती की दर 10 प्रतिशत से कम है।

(ब) उक्त समस्त RA Bills से Mobilization Advance की कटौती करने के उपरान्त जी०ए०स०टी० की गणना की गयी है, जब कि Certified value की धनराशि पर सर्वप्रथम जी०ए०स०टी० की गणना करने के उपरान्त Mobilization Advance की कटौती की जानी चाहिये। अनुबंध के सेक्शन-2 के क्लाज-5.4 में 5 प्रतिशत escalation का प्राविधान है। इसी प्रकार 5 प्रतिशत escalation की गणना समस्त कटौतियाँ (LD एवं Mobilization Advance) के उपरान्त की गयी है, जबकि 5 प्रतिशत escalation की गणना Certified Value (सर्टिफाइड बिल) अर्थात् एल०डी० की कटौती के उपरान्त देय धनराशि पर की जानी चाहिये, तत्पश्चात् Mobilization Advance की कटौती की जानी चाहिये।

उपरोक्त (अ) व (ब) पर दिये गये तथ्यों के अनुसार लखनऊ जोन के माह जुलाई-2021, अगस्त-2021 व सितम्बर-2021 के भुगतान की संस्तुति की गयी।

लखनऊ जोन में स्थित कुल 3 नग एस०टी०पी० का ट्रीटेड सीवेज जुलाई-2021, अगस्त-2021 व सितम्बर-2021 तक क्वालिटी हेतु निर्धारित मानक के सापेक्ष निम्न आवृत्ति के अनुसार असफल हुआ है।

- 345 एम०एल०डी०, एस०टी०पी०, भरवारा – सी०ओ०डी०-15 बार एवं FC – 15 बार
- 42 एम०एल०डी०, एस०टी०पी०, दौलतगंज – सी०ओ०डी०-3 बार एवं FC – 15 बार
- 14 एम०एल०डी०, एस०टी०पी०, दौलतगंज – FC – 15 बार

लखनऊ जोन के 3 एस०टी०पी० में उपरोक्त (अ) एवं (ब) में दिये गय तथ्यों को सम्मिलित करते हुये क्वालिटी एवं क्वांटिटी के सापेक्ष की गयी कटौतियों का विवरण निम्नवत् है:-

माह	उ०प्र० जल निगम द्वारा प्रेषित बिल की धनराशि	मोबिलाईजेशन एडवांइस हेतु कटौती	क्वांटिटी एवं पैरामीटर के सापेक्ष एल०डी० की कुल कटौती	कुल कटौतियाँ (मोबिलाईजेशन एडवांइस, क्वांटिटी एवं पैरामीटर के सापेक्ष एल०डी० सहित)
1	2	3	4	5 = (3+4)
लखनऊ जोन				
जुलाई-2021	67813900.00	25833866.67	0.00	25833866.67
अगस्त-2021	67813900.00	0.00	1240176.48	1240176.48
सितम्बर-2021	67813900.00	0.00	846784.32	846784.32

Release of deduction on quantity during covid-19 extension period (66 days)	7457492.68	0.00	526784.33	222261.44
योग	210899192.68	25833866.67	2613745.13	28447611.80

उपरोक्तानुसार जून-2021 तक मोबिलाईजेशन एडवांस की कटौती रु 6,20,01,280.00 की जानी थी जिसके सापेक्ष रु 5,16,67,733.33 की कटौती जून-2021 तक की गयी है। इस प्रकार जून-2021 तक बकाया मोबिलाईजेशन एडवांस रु 1,03,33,546.67 माह जुलाई-2021 के बिल से एकमुश्त काट ली गयी है एवं जुलाई-2021 से अगस्त-2021 तक 2 माह की मोबिलाईजेशन की कटौती रु 1,55,00,320.00 की जानी है जिसे सुएज इण्डिया प्रॉलिंग द्वारा उनके ई-मेल दिनांक 25.10.2021 को प्राप्त पत्र के क्रम में अगस्त-2021 के बिल से कटौती जुलाई-2021 के बिल से एक मुश्त की गयी है। इस प्रकार जुलाई-2021 के बिल से कुल रु 2,58,33,866.67 की कटौती की गयी है। पैकेज संख्या-4 लखनऊ जोन हेतु फर्म को दिया गया मोबिलाईजेशन एडवांस की रिकवरी पूर्ण हो चुकी है।

सदस्य सचिव/मुख्य अभियन्ता, ओ०एम० एण्ड एम० सेल द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि अनुबंध के Section-II के प्रस्तर-34 के अनुसार मेसर्स सुएज इण्डिया प्रॉलिंग को मोबिलाईजेशन एडवांस (अनुबंध की वार्षिक धनराशि का 10 प्रतिशत) रु 7,75,01,600.00 (रु 0 सात करोड़ पचहत्तर लाख एक हजार छ: सौ मात्र) भुगतान किया गया है जिसकी 10 किश्तों के सापेक्ष 9th & 10th किश्त की देयता जुलाई व अगस्त-2021 से है। इसकी कटौती जल निगम द्वारा जुलाई-2021 एवं अगस्त-2021 के बिल से की जानी थी परन्तु जल निगम द्वारा कटौती न किये जाने के कारण मेसर्स सुएज इण्डिया प्रॉलिंग द्वारा उनके ई-मेल दिनांक 25.10.2021 को प्राप्त पत्र के क्रम में अगस्त-2021 के बिल से की जाने वाली कटौती जुलाई-2021 के बिल से की गयी है। इस प्रकार जुलाई-2021 में रु 2,58,33,866.67 तथा क्वांटिटी एवं पैरामीटर के सापेक्ष एल०डी० की कुल कटौती रु 2,84,47,611.80 की कटौती ओ०एमएण्डएम सेल द्वारा की गयी है।

सदस्य सचिव/मुख्य अभियन्ता, ओ०एम० एण्ड एम० सेल द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि अनुबंध के Section-II के प्रस्तर-2.8 अनुसार फर्म को एस्क्रो एकाउन्ट में प्रतिवर्ष रु 7.00 करोड़ की धनराशि (5 प्रतिशत प्रतिवर्ष एस्केलेशन के उपरान्त) अपने देयकों से प्रतिमाह जमा की जानी अपेक्षित है। फर्म द्वारा 01 नवम्बर, 2019 से सितम्बर-2021 तक वाचित धनराशि रु. 13,73,75,000.00 (रु 0 तेरह करोड़ तिहत्तर लाख पचहत्तर हजार मात्र) के सापेक्ष फर्म ने मात्र रु 5,00,00,000.00 (रु 0 पाँच करोड़ मात्र) जमा किये हैं तथा दिनांक 16.08.2021 सम्मन्द हुयी बैठक में प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम (नगरीय), लखनऊ को रु 6,90,00,000.00 (रु 0 छ: करोड़ नब्बे लाख मात्र) की धनराशि एस्क्रो एकाउन्ट में जमा किये जाने हेतु अवमुक्त की जा चुकी है एवं वर्तमान में रु 1,83,75,000.00 (रु 0 एक करोड़ तिरासी लाख पचहत्तर हजार मात्र) फर्म को एस्क्रो एकाउन्ट में जमा किया जाना अवशेष है।

ओ०एम० एण्ड एम० सेल द्वारा की गयी संस्तुति निम्नवत् है:-

उपरोक्तानुसार की गयी कटौतियों के उपरान्त ओ०एम० एण्ड एम० सेल द्वारा निम्न विवरण के अनुसार उ०प्र० जल निगम को भुगतान हेतु आवंटित किये जाने की संस्तुति निम्नानुसार है:

क्र. स.	पेमेन्ट स्टिटिकेट / बिल का विवरण	21 th Payment Certificate/ Bill Amount July 2021 (Rs.)	22 th Payment Certificate/ Bill Amount August 2021 (Rs.)	23 th Payment Certificate/ Bill Amount Sept. 2021 (Rs.)	Release of Deducted amount for LD on Quantity due to Covid-19 period (66 Days)
1-	पेमेन्ट स्टिटिकेट / बिल के सापेक्ष अवमुक्त की जाने वाली धनराशि	64663900.19	64652901.62	65625321.23	11604639.24
2-	जी.एस.टी. (12 प्रतिशत)	7759668.02	7758348.19	7875038.55	1392556.71
3-	फ्यूल चार्जस (As per actual Certified by UPJN)	517487.00	616675.00	706655.00	0.00
4-	उ०प्र० जल निगम को देय सेन्टेज / सुपरवीजन चार्जस (10 प्रतिशत)	6466390.02	6465290.16	6562532.12	1160463.92
5	मोबिलाईजेशन एडवांस की कटौती	25833866.67	0.00	0.00	0.00
6	योग (1+2+3+4-5)	53573578.52	79493214.97	80769546.90	14157659.87

7	उ0प्र0 जल निगम को आवंटित की जाने वाली धनराशि	22,79,94,000.30
8	आवंटित की जाने वाली धनराशि में से एस्क्रो एकाउंट में प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम द्वारा जमा की जाने वाली धनराशि का विवरण	1,83,75,000.00

सदस्य सचिव/मुख्य अभियन्ता, ओ0एम0 एण्ड एम0 सेल द्वारा समिति के समक्ष रु0 22,79,94,000.30 (रु0 बाइस करोड़ नवासी लाख चौरानवे हजार व पैसे अस्सी मात्र) की स्वीकृति शासन स्तर से प्रदान करने व शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि को प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम को आवंटित करने हेतु तथा तथा प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम द्वारा इन्हीं देयको से मेजर रिप्लेसमेन्ट फण्ड के सापेक्ष माह जुलाई, अगस्त एवं सितम्बर-2021 तक लम्बित कुल धनराशि रु0 1,83,75,000.00 (रु0 एक करोड़ तिरासी लाख पचहत्तर मात्र) की शत-प्रतिशत कटौती कर एस्क्रो एकाउंट में अंतरित करने हेतु मुख्य अभियन्ता/सदस्य सचिव, ओ0एम0 एण्ड एम0 सेल द्वारा की जाती है।

समिति का निर्णय:- सदस्य सचिव/मुख्य अभियन्ता, ओ0एम0एण्ड एम0 सेल द्वारा उपरोक्तानुसार समिति के समक्ष की गयी संस्तुति के क्रम में पैकेज-4, लखनऊ जोन हेतु कुल धनराशि रु0 22,79,94,000.30 (रु0 बाइस करोड़ नवासी लाख चौरानवे हजार व पैसे अस्सी मात्र) की स्वीकृति शासन स्तर से प्रदान करने व शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि को प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम को आवंटित करने तथा प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम द्वारा इन्हीं देयको से मेजर रिप्लेसमेन्ट फण्ड के सापेक्ष माह जुलाई, अगस्त एवं सितम्बर-2021 तक लम्बित कुल धनराशि रु0 1,83,75,000.00 (रु0 एक करोड़ तिरासी लाख पचहत्तर मात्र) की शत-प्रतिशत कटौती कर एस्क्रो एकाउंट में अंतरित करने हेतु समिति द्वारा सर्वसम्मति से सहमति व्यक्त की गयी। ट्रीटेड सीवेज की क्वालिटी कई बार निर्धारित मानक के अनुसार प्राप्त न होने के दृष्टिगत समिति द्वारा निर्देश दिये गये कि कार्यदायी संस्था द्वारा एस0टी0पी0 के संचालन निर्धारित मानक व गुणवत्ता के साथ सुनिश्चित कराया जाये।

सदस्य सचिव/मुख्य अभियन्ता, ओ0एम0 एण्ड एम0 सेल द्वारा प्रस्तावित Mobilization Advance की संशोधित रिकवरी दर के अनुसार रिकवरी, जी0एस0टी0 की संशोधित गणना को इस बैठक से पूर्व की बैठकों में प्रस्तुत RA Bills से भी तदनुसार सुनिश्चित करते हुये संशोधित भुगतान आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाए। (कार्यवाही- मुख्य अभियन्ता/सदस्य सचिव, ओ0एम0एण्ड एम0 / उ0प्र0 जल निगम)

सदस्य सचिव/मुख्य अभियन्ता, ओ0एम0 एण्ड एम0 सेल की संकलित संस्तुति:- उपरोक्तानुसार एजेण्डा (ii, iii, iv एवं v) हेतु लिये गये निर्णय में अंकित कुल धनराशि रु0 51,28,52,728.95 (रु0 इक्यावन करोड़ अठाइस लाख बावन हजार सात सौ अठाइस व पैसे पनचानवे मात्र) में से गोरखपुर जोन के लिए रु0 2,41,35,378.20 (रु0 दो करोड़ इकतालीस लाख पैंतीस हजार तीन सौ अठ्हत्तर व पैसे बीस मात्र), आगरा जोन के लिए रु0 4,53,38,938.70 (रु0 चार करोड़ तिरेपन लाख अट्ठीस हजार नौ सौ अठतीस व पैसे सत्तर मात्र), गाजियाबाद जोन के लिए रु0 21,53,84,411.75 (रु0 इक्कीस करोड़ तिरेपन लाख चौरासी हजार चार सौ ग्यारह व पैसे पचहत्तर मात्र) एवं लखनऊ जोन के लिए रु0 22,79,94,000.30 (रु0 बाइस करोड़ उनासी लाख चौरानवे हजार व पैसे तीस मात्र), की स्वीकृति शासन स्तर से प्रदान करने व शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि को प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम को आवंटित करने जिसमें से प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ द्वारा इन्हीं देयको से मेजर रिप्लेसमेन्ट फण्ड के सापेक्ष गोरखपुर जोन के लिए मेजर रिप्लेसमेन्ट फण्ड के सापेक्ष माह सितम्बर-2021 तक लम्बित कुल धनराशि रु0 6,60,58,234.25 (रु0 छ: करोड़ साठ लाख अट्ठावन हजार दो सौ चौंतीस व पैसे पच्चीस मात्र) में से रु0 19009516.44 की कटौती कर एस्क्रो एकाउंट में अंतरित करने एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ द्वारा एस्क्रो एकाउंट में अंतरित करने वाली अवशेष धनराशि रु0 4,70,48,717.82 (रु0 6,60,58,234.25 - 1,90,09,516.44 = रु0 4,70,48,717.82) हेतु नोटिस

जारी कर आवश्यक कार्यवाही करने, आगरा जोन के लिए मेजर रिप्लेसमेन्ट फण्ड के सापेक्ष माह अगस्त-2021 तक लम्बित कुल धनराशि रु0 1,22,50,000.00 (रु0 एक करोड़ बाइस लाख पचास हजार मात्र), गाजियाबाद जोन एवं लखनऊ जोन के लिए मेजर रिप्लेसमेन्ट फण्ड के सापेक्ष माह सितम्बर-2021 तक लम्बित कुल धनराशि क्रमशः रु0 1,99,06,250.00 (रु0 एक करोड़ निन्यानवे लाख छः हजार दो सौ पचास मात्र) एवं रु0 1,83,75,000.00 (रु0 एक करोड़ तिरासी लाख पचहत्तर हजार मात्र) है की शत-प्रतिशत की कटौती कर एस्क्रो एकाउंट में अंतरित करने एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), लखनऊ को उक्त धनराशि रु0 51,28,52,728.95 (रु0 इक्यावन करोड़ अठाइस लाख बावन हजार सात सौ अठाइस व पैसे पनचानवे मात्र) आवंटित करने हेतु संस्तुति की जाती है।

समिति का निर्णयः

उपरोक्तानुसार सदस्य सचिव/मुख्य अभियन्ता, ओ0एम0 एण्ड एम0 सेल द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में गोरखपुर जोन के लिए रु0 2,41,35,378.20 (रु0 दो करोड़ इकतालीस लाख पैंतीस हजार तीन सौ अद्वृत्तर व पैसे बीस मात्र), आगरा जोन के लिए रु0 4,53,38,938.70 (रु0 चार करोड़ तिरेपन लाख अट्ठीस हजार नौ सौ अठतीस व पैसे सत्तर मात्र), गाजियाबाद जोन के लिए रु0 21,53,84,411.75 (रु0 इक्कीस करोड़ तिरपन लाख चौरासी हजार चार सौ ग्यारह व पैसे पचहत्तर मात्र) एवं लखनऊ जोन के लिए रु0 22,79,94,000.30 (रु0 बाइस करोड़ उनासी लाख चौरानवे हजार व पैसे तीस मात्र) कुल धनराशि रु0 51,28,52,728.95 (रु0 इक्यावन करोड़ अठाइस लाख बावन हजार सात सौ अठाइस व पैसे पनचानवे मात्र) की स्वीकृति शासन स्तर से प्रदान करने व शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि को प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम को आवंटित करने जिसमें से प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ द्वारा इन्हीं देयकों से मेजर रिप्लेसमेन्ट फण्ड के सापेक्ष गोरखपुर जोन के लिए माह सितम्बर-2021 तक लम्बित कुल धनराशि रु0 6,60,58,234.25 (रु0 छः करोड़ साठ लाख अट्ठावन हजार दो सौ चौंतीस व पैसे पच्चीस मात्र) में से रु0 19009516.44 की कटौती कर एस्क्रो एकाउंट में अंतरित करने एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ द्वारा एस्क्रो एकाउंट में अंतरित करने वाली अवशेष धनराशि रु0 4,70,48,717.82 (रु0 6,60,58,234.25 – 1,90,09,516.44 = रु0 4,70,48,717.82) हेतु नोटिस जारी कर आवश्यक कार्यवाही करने, आगरा जोन के लिए मेजर रिप्लेसमेन्ट फण्ड के सापेक्ष माह अगस्त-2021 तक लम्बित कुल धनराशि रु0 1,22,50,000.00 (रु0 एक करोड़ बाइस लाख पचास हजार मात्र), गाजियाबाद जोन एवं लखनऊ जोन के लिए मेजर रिप्लेसमेन्ट फण्ड के सापेक्ष माह सितम्बर-2021 तक लम्बित कुल धनराशि क्रमशः रु0 1,99,06,250.00 (रु0 एक करोड़ निन्यानवे लाख छः हजार दो सौ पचास मात्र) एवं रु0 1,83,75,000.00 (रु0 एक करोड़ तिरासी लाख पचहत्तर हजार मात्र) है की शत-प्रतिशत की कटौती कर एस्क्रो एकाउंट में अंतरित करने हेतु समिति द्वारा सर्वसम्मति से सहमति व्यक्त की गयी।

(कार्यवाही— उ0प्र0 शासन/उ0प्र0 जल निगम/मुख्य अभियन्ता/सदस्य सचिव, ओ0एम0एण्ड एम0)

विद्युत बिल—

एजेन्डा (vi) महाप्रबन्धक, य0प्र0नि0इकाई, उ0प्र0 जल निगम, आगरा के पत्र-2048 / Payment O&M VATech Wabag/66 दिनांक 13.09.2021 एवं पत्र संख्या-406 / विद्युत संयोजन आगरा / 10 दिनांक 07.10.2021 द्वारा 05 नग एस0टी0पी0 व 28 नग एस0पी0एस0 के माह अगस्त-2021 व सितम्बर-2021 का प्रमाणित विद्युत देयक क्रमशः रु0 69,44,811.89 (रु0 उनहत्तर लाख चौवालीस हजार आठ सौ ग्यारह व पैसे नवासी मात्र) एवं 67,67,006.18 (रु0 सङ्घषठ लाख सङ्घषठ हजार छः व पैसे अठारह मात्र) निदेशालय में प्रस्तुत किया गया है। इसी क्रम में महाप्रबन्धक, य0प्र0नि0इकाई, उ0प्र0 जल निगम, आगरा के पत्र संख्या 1862 / Payment O&M VATech Wabag/60 दिनांक 16.08.2021, पत्र संख्या-2047 / O/M VATech Wabag/218 दिनांक 10.09.2021 एवं पत्र संख्या-407 / वि0संयोजन-आगरा / 11 दिनांक 07.10.2021 द्वारा 02 नग एस0टी0पी0 के दिनांक 01.06.

27

2021 से 06.07.2021, 01.06.2021 से 09.07.2021, 06.07.2021 से 06.08.2021, 09.07.2021 से 03.08.2021, 06.08.2021 से 02.09.2021, 03.08.2021 से 01.09.2021 एवं 1 नग एस०टी०पी० हेतु 01.09.2021 से 02.10.2021 तक का प्रमाणित विद्युत देयक क्रमशः रु० 2,33,337.00 (रु० दो लाख तैनीस हजार तीन सौ सैंतीस मात्र) रु० 1,40,049.00 (रु० एक लाख दस हजार उनचास मात्र) रु० 145638.00 (रु० एक लाख पैंतालीस हजार छः सौ अड़तीस मात्र) निदेशालय में प्रस्तुत किया गया है। प्रस्ताव निर्णय हेतु प्रस्तुत है।

एजेण्डा—(vii) (1) अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड (वि० / याँ०) उ०प्र० जल निगम, गाजियाबाद के पत्र संख्या-2973 / कार्य-33 / 191 दिनांक 07.09.2021 एवं पत्र संख्या 3373 / कार्य-33 / 213 दिनांक 04.10.2021 द्वारा 56 व 74 एम०एल०डी० एस०टी०पी० एवं 48 एम०पी०एस० इन्द्रियापुरम, गाजियाबाद के दिनांक 17.08.2021 से दिनांक 01.09.2021, 01.09.2021 से 01.10.2021, दिनांक 17.08.2021 से 01.09.2021, 01.09.2021 से 01.10.2021 एवं दिनांक 17.08.2021 से 02.09.2021 व दिनांक 02.09.2021 से दिनांक 01.10.2021 तक का प्रमाणित विद्युत देयक क्रमशः रु० 47,73,850.00 (रु० सैंतालीस लाख तिहत्तर हजार आठ सौ पचास मात्र) एवं रु० 44,21,943.00 (रु० चौबालीस लाख इक्कीस हजार नौ सौ तैनालीस मात्र) निदेशालय में प्रस्तुत किया गया है। अतः इन्द्रियापुरम, गाजियाबाद की प्रमाणित विद्युत देयक की कुल धनराशि रु० 91,95,793.00 (रु० इक्यानवे लाख पंचानवे हजार सात सौ तिरानवे मात्र) है।

(2) अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड (वि० / याँ०) उ०प्र० जल निगम, गाजियाबाद के पत्र संख्या-2691 / कार्य-33 / 179 दिनांक 17.08.2021, पत्र संख्या-2974 / कार्य-1 / 106 दिनांक 07.09.2021 एवं पत्र संख्या-3384 / कार्य-33 / 217 दिनांक 05.10.2021 द्वारा सीवेज पम्प जी०डी०ए० मार्केट, सेक्टर-5, वैशाली, गाजियाबाद, सीवेज पम्प नगर निगम, सेक्टर-1, निकट मैक्स अस्पताल वैशाली, गाजियाबाद, सीवेज पम्प सप्तम खण्ड, सेक्टर-19 वसुन्धरा, गाजियाबाद व सीवेज पम्प निकट कनावनी पुलिसा सेक्टर-5 वसुन्धरा, गाजियाबाद के जुलाई-2021, अगस्त-2021 व सितम्बर-2021 के प्रमाणित विद्युत देयक क्रमशः रु० 1320069.00 (रु० तेरह लाख बत्तीस हजार उनहत्तर मात्र), रु० 1202919.00 (रु० बारह लाख दो हजार नौ सौ उन्नीस मात्र) एवं रु० 1239326.00 (रु० बारह लाख उन्नतालीस हजार तीन सौ छबीस मात्र) अर्थात् कुल रु० 37,62,314.00 (रु० सैंतीस लाख बासठ हजार तीन सौ चौदह मात्र) ओ०ए० एण्ड एम० सेल में प्रस्तुत किया गया है।

(3) अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड (वि० / याँ०) उ०प्र० जल निगम, गाजियाबाद के पत्र संख्या-2649 / कार्य-33 / 173 दिनांक 14.08.2021 द्वारा वसुन्धरा, गाजियाबाद द्वारा प्रेषित माह अगस्त-2021 का प्रमाणित विद्युत देयक रु० 370465.00 (तीन लाख सत्तर हजार चार सौ पैंसठ मात्र) निदेशालय में प्रस्तुत किया गया है। प्रस्ताव निर्णय हेतु प्रस्तुत है।

(4) अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड (वि० / याँ०) उ०प्र० जल निगम, गाजियाबाद के पत्र संख्या-2842 / कार्य-33 / 190 दिनांक 27.08.2021, पत्र संख्या-3015 / कार्य-33 / 194 दिनांक 10.09.2021 एवं पत्र संख्या-3378 / कार्य-33 / 216 दिनांक 04.10.2021 द्वारा लोनी सीवरेज योजना में 30 एम०एल०डी० एस०टी०पी० / 68 एम०एल०डी० एम०पी०एस० लोनी, गाजियाबाद के माह अगस्त-2021, सितम्बर एवं अक्टूबर-2021 का प्रमाणित विद्युत देयक क्रमशः 1141241.00 (ग्यारह लाख इक्तालिस हजार दौ सौ इक्तालिस मात्र), रु० 888792.00 (आठ लाख अद्घासी हजार सात सौ बानवे मात्र) एवं रु० 985226.00 (नौ लाख पचासी हजार दौ सौ छबीस मात्र) अर्थात् कुल रु० 30,15,259.00 (रु० तीस लाख पंद्रह हजार दो सौ उनसठ मात्र) निदेशालय में प्रस्तुत किया गया है। प्रस्ताव निर्णय हेतु प्रस्तुत है।

(5) अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड (वि० / याँ०) उ०प्र० जल निगम, गाजियाबाद के पत्र संख्या-3072 / कार्य-33 / 195 दिनांक 15.09.2021 एवं पत्र संख्या-3377 / कार्य-33 / 215 दिनांक 04.10.2021 द्वारा डूडाहेड़ा सीवरेज 56 / 70 एम०एल०डी० के माह सितम्बर व अक्टूबर-2021 का प्रमाणित विद्युत देयक क्रमशः-रु० 4268661.00 (ब्यासील लाख अडसठ हजार छः सौ इक्सठ मात्र) एवं रु० 4197305.00 (इक्तालीस लाख संतानवे हजार तीन सौ पांच मात्र) अर्थात् कुल रु० 84,65,966.00 (रु० चौरासी लाख पैंसठ हजार नौ सौ छियासठ मात्र) निदेशालय में प्रस्तुत किया गया है। प्रस्ताव निर्णय हेतु प्रस्तुत है।

(6) अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड (वि० / याँ०) उ०प्र० जल निगम, गाजियाबाद के पत्र संख्या-3230 / कार्य-33 / 200 दिनांक 22.09.2021 द्वारा 03 एम०एल०डी०, एस०टी०पी० व 2 एम०एल०डी०, आई०पी०एस०,

पिलखुआ के माह अगस्त-2021 तक का प्रमाणित विद्युत देयक क्रमशः रु० 231742.00 (रु० दो लाख इक्कतीस हजार सात सौ बयालीस मात्र) निदेशालय में प्रस्तुत किया गया है। प्रस्ताव निर्णय हेतु प्रस्तुत है।

एजेन्डा (viii) महाप्रबन्धक, यमुना प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ०प्र० जल निगम, गाजियाबाद के पत्र संख्या-1727 /वन सिटी वन ऑपरेटर/302 दिनांक 08.09.2021 द्वारा 72 एम०एल०डी०, कमालपुर, मेरठ के माह अगस्त 2021 का प्रमाणित विद्युत देयक रु० 2494185.59 (चौबिस लाख चौरानबे हजार एक सौ पच्चासी एवं उन्सठ पैसे मात्र) निदेशालय में प्रस्तुत किया गया है। प्रस्ताव निर्णय हेतु प्रस्तुत है।

एजेन्डा (ix) अधीक्षण अभियन्ता, निर्माण मण्डल, उ०प्र० जल निगम, अयोध्या के पत्र संख्या-3246/एसी-7/137 दिनांक 19.08.2021 द्वारा 12 एम०एल०डी० एस०टी०पी० अयोध्या नगर हेतु माह जनवरी-2020 से अगस्त-2021 तक के प्रमाणित विद्युत देयक क्रमशः रु० 4687204.00 (रु० छियालीस लाख सत्तासी हजार दो सौ चार मात्र), निदेशालय में प्रस्तुत किया गया है। प्रस्ताव निर्णय हेतु प्रस्तुत है।

एजेन्डा (x) परियोजना प्रबन्धक, निर्माण इकाई, उ०प्र० जल निगम, गोरखपुर के पत्र संख्या-1035/कार्य-10/168 दिनांक 20.10.2021 द्वारा 30 एम०एल०डी०, एस०टी०पी० व 15 एम०एल०डी० एस०पी०एस०, गोरखपुर नगर हेतु माह जुलाई-2021 व अगस्त-2021 द्वारा रु० 7302820.31 (रु० तिहत्तर लाख दो हजार आठ सौ बीस व पैसे इक्कतीस मात्र) निदेशालय में प्रस्तुत किया गया है। प्रस्ताव निर्णय हेतु प्रस्तुत है।

उपरोक्तानुसार पैरा (vi), (vii), (viii), (ix) एवं (x) के शहर-वार/टाउन-वार विद्युत बिल का विवरण निम्नानुसार है:-

ऐजेण्डा क्र०सं०	शहर/टाउन का नाम	एस०टी०पी०/पम्पिंग स्टेशन का विवरण	बिल की अवधि	उ०प्र० जल निगम द्वारा प्रमाणित विद्युत बिल की धनराशि रु०
(vi)	आगरा	5 नग एस०टी०पी० व 28 नग एस०पी०एस०	अगस्त-2021	69,44,811.89
			सितम्बर-2021	67,67,006.00
			01.06.2021 से 06.07.2021	30,976.00
			06.07.2021 से 06.08.2021	26,125.00
			06.08.2021 से 02.09.2021	24635.00
		40 एम०एल०डी० एस०टी०पी० (बिचपुरी), आगरा 40	01.06.2021 से 06.07.2021	97,512.00
			09.07.2021 से 03.08.2021	78,724.00
			01.09.2021 से 02.10.2021	145638.00
			03.08.2021 से 01.09.2021	85414.00
			योग	1,42,00,841.89
(vii)	गाजियाबाद	अहिंसा खण्ड इन्दिरापुरम्, गाजियाबाद (56 MLD STP)	17.08.2021 से 01.09.2021	1235996.00
			01.09.2021 से 01.10.2021	1062564.00
		शक्ति खण्ड-4 इन्दिरापुरम्, गाजियाबाद (8 MLD MPS)	17.08.2021 से 02.09.2021	43101.00
			02.09.2021 से 01.10.2021	43101.00

	शक्ति खण्ड-4 इन्दिरापुरम्, गाजियाबाद (74 MLD STP)	17.08.2021 से 01.09.2021	3494753.00
		01.09.2021 से 01.10.2021	3316278.00
	सीवेज पम्प जी०डी० मार्केट सेक्टर-५, वैशाली, गाजियाबाद	01.06.2021 से 01.07.2021	213690.00
		01.07.2021 से 01.08.2021	235139.00
		01.08.2021 से 01.09.2021	242534.50
	सीवेज पम्प नगर निगम सेक्टर-१ निकट मैक्स अस्पताल वैशाली, गाजियाबाद	01.06.2021 से 01.07.2021	191028.00
		01.07.2021 से 01.08.2021	195835.00
		01.08.2021 से 01.09.2021	209887.00
	सीवेज पम्प सप्तम खण्ड सेक्टर-१९ वसुन्धरा गाजियाबाद	02.06.2021 से 01.07.2021	160556.00
		01.07.2021 से 02.08.2021	175509.00
		01.08.2021 से 04.09.2021	186394.25
	सीवेज पम्प निकट कनावनी पुलिया सेक्टर-५, वसुन्धरा, गाजियाबाद	02.06.2021 से 01.07.2021	754795.00
		01.07.2021 से 03.08.2021	596436.00
		01.08.2021 से 02.09.2021	600511.13
	सीवेज पम्प सी-ब्लॉक पार्क शालीमार गार्डन (५६ एम०एल०डी०) इन्दिरापुरम्/ जनकपुरी एस०पी०एस०, गाजियाबाद	01.07.2021 से 01.08.2021	264702.00
	सीवेज पम्प सूर्यनगर (५६ एम०एल०डी०) इन्दिरापुरम्/ ब्रज विहार एस०पी०एस०, गाजियाबाद	01.07.2021 से 01.08.2021	105763.00
	DLF S/S Treatment Plant, Loni (68 MLD SPS)	02.07.2021 से 02.08.2021	742217.10
		02.08.2021 से 01.09.2021	511389.00
		01.09.2021 से 01.10.2021	604911.48
	STP Near DLF S/S Loni, Ghaziabad. (30 MLD STP)	01.07.2021 से 01.08.2021	399023.83
		01.08.2021 से	377402.65

			01.09.2021	
			01.09.2021 से	380314.82
		01.10.2021		
		70 व 56 एम०एल०डी०, एस०टी०पी० झूड़ाहेड़ा	01.08.2021 से	4268661.00
			01.09.2021	
			01.10.2021	1136137.00
		एम०पी०एस०—एस०टी०पी०—०३ एम०एल०डी०, पिलखुआ	08.07.2021 से	201266.37
		आई०पी०एस० ०२ एम०एल०डी०, पिलखुआ	29.07.2021 से	30476.00
			31.08.2021	
(viii)	मेरठ	72 एम०एल०डी०, कमालपुर	अगस्त—२०२१	2494185.59
योग				24474557.72
(ix)	गोरखपुर	30 एम०एल०डी०, एस०टी०पी० व 15 एम०एल०डी० एस०पी०एस०	जुलाई—२०२१ व अगस्त—२०२१	7302820.31
(x)	अयोध्या	12 एम०एल०डी०, एस०टी०पी० अयोध्या	दिनांक 04.01.2020 से 02.08.2021 तक	4687204.00
महायोग				5,06,65,423.92

उपरोक्तानुसार विद्युत बिल के सापेक्ष जल निगम द्वारा प्रमाणित कुल धनराशि रु० 5,06,65,423.92 (रु० पाँच करोड़ छः लाख पैंसठ हजार चार सौ तेइस व पैसे बानवे मात्र) की स्वीकृति वांछित है।

उक्त पेमेन्ट सर्टिफिकेट / बिलों का ओ०एम० एण्ड एम० सेल द्वारा परीक्षण किया गया, परीक्षणोपरान्त समिति के समक्ष प्रस्तुत एजेण्डा (vi), एजेण्डा (vii), एजेण्डा (viii), एजेण्डा (ix), एजेण्डा एवं (x) में प्रस्तावित भुगतान हेतु संस्तुति निम्नवत है:-

निदेशालय में गठित ओ०एम०एण्डएम० सेल के कन्सल्टेंट (संजय कुमार सिंह), मुख्य अभियन्ता (मनीष कुमार सिंह), अधिशासी अभियन्ता (सौरभ श्रीवास्तव) एवं सहायक लेखाकार (गौरव त्रिपाठी) द्वारा इकाईयों से प्राप्त विद्युत बिलों का परीक्षण किया गया।

क्र०सं०	जोन का नाम	आवंटित की जाने वाली धनराशि
1	2	3
1	आगरा जोन	1,42,00,841.89
2	गाजियाबाद जोन	2,44,74,557.72
3	गोरखपुर जोन	1,19,90,024.31
महायोग		5,06,65,423.92

उपरोक्तानुसार विद्युत बिल के सापेक्ष जल निगम द्वारा प्रमाणित कुल धनराशि रु० 5,06,65,423.92 (रु० पाँच करोड़ छः लाख पैंसठ हजार चार सौ तेइस व पैसे बानवे मात्र) वांछित है, जिसकी स्वीकृति शासन स्तर से प्रदान करने व प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम को विद्युत देयकों के मद में आवंटित करने की संस्तुति मुख्य अभियन्ता / सदस्य सचिव, ओ०एम० एण्ड एम० सेल द्वारा की जाती है।

सदस्य सचिव/मुख्य अभियन्ता, ओ०एम० एण्ड एम० सेल द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त निर्णय के अनुपालन में मुख्य अभियन्ता (पी०पी०आर०बी०डी० सेल) उ०प्र० जल निगम, लखनऊ के अप्रेजल के उपरान्त रु० 1845.70 लाख का संशोधित प्राक्कलन मुख्य अभियन्ता (गंगा) उ०प्र० जल निगम, लखनऊ के पत्र संख्या 546 / ०२२-४०७(बी) / २०२० दिनांक 30.06.2021 के माध्यम से अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया है। उक्त प्राक्कलन में सिविल एवं विद्युत यांत्रिक कार्यों की कुल लागत रु० 1635.33 लाख (जी०एस०टी० रहित) है। उक्त प्राक्कलन की जाँच ओ०एम०एण्ड एम० सेल में की गयी, जाँचोपरान्त पत्र संख्या 182 / १२ / ३६८(८) / २०२१-२२ दिनांक 14.07.2021 के माध्यम से आपत्तियाँ लगायी गयी थी। ओ०एम०एण्ड एम० सेल द्वारा तृतीय अनुस्मारक पत्र संख्या-२३५ / १२ / ३६८(८) / २०२१-२२ दिनांक 12.10.2020 द्वारा प्रेषित किया गया परन्तु वर्तमान तक उ०प्र० जल निगम से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

M/s VA Tech Wabag Ltd. के पत्र संख्या- VATW/2021-22/PKG-8/LKO/OMM/180 दिनांक 16.10.2021 द्वारा अनुरोध किया गया है कि धनाभाव के कारण रखरखाव के कार्यों में काफी कठिनाई उत्पन्न हो रही है। जब तक जल निगम से लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण नहीं कर दिया जाता है तब तक रु. 1845.70 लाख का 70 प्रतिशत धनराशि का भुगतान एस्क्रो एकाउन्ट में जमा धनराशि से अग्रिम के रूप में कर दिया जाए।

अतः सदस्य सचिव/मुख्य अभियन्ता, ओ०एम० एण्ड एम० सेल द्वारा फर्म को अग्रिम के रूप में रु० 1635.33 लाख (जी०एस०टी० रहित) का 50 प्रतिशत धनराशि भुगतान करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। प्रस्ताव निर्णय हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुत है।

समिति का निर्णय:- उपरोक्त एजेण्डा संख्या- (i) के बिन्दु संख्या-३ के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाये।

एजेण्डा (xiii) वन सिटी वन ऑपरेटर योजना के अन्तर्गत अनुबंध संख्या-०९ / एसजीआरसीए / २०१७-१८ (OM&M) / Package-5, Zone-Gorakhpur में मेजर रिप्लेसमेन्ट फण्ड के अन्तर्गत मानसून अवधि के दौरान रामगढ़ताल का जल स्तर बढ़ जाने के फलस्वरूप बाईपास चैनल के माध्यम से पैडलगंज आई० एण्ड डी० प्लांट पर आने वाले ताल के पानी के बैकफ्लो को रोकने हेतु बाईपास चैनल में एक नग स्लूसेट तथा पैडलगंज पम्पिंग स्टेशन के अनुसार संचालन हेतु अक्रियाशील / क्षतिग्रस्त एक पम्प बदलने हेतु मेजर रिप्लेसमेन्ट फण्ड से कराये जाने हेतु रु० २८.०१ लाख का प्राक्कलन मुख्य अभियन्ता (गंगा) उ०प्र० जल निगम, लखनऊ के पत्रांक ५४५ / ०२२-४०७(बी) / २०२० दिनांक 30.06.2021 के माध्यम से पी०पी०आर०बी०डी० सेल, उ०प्र० जल निगम के अप्रेजल के उपरान्त अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया है। उक्त प्रस्ताव के परीक्षणोपरान्त ओ०एम०एण्ड एम० सेल द्वारा कुछ आपत्तियाँ पत्रांक १८३ / ९ / ३६८(५) / २०२१-१२ दिनांक 15.07.2021 द्वारा आपत्तियों के निराकरण हेतु मुख्य अभियन्ता (गंगा), उ०प्र० निगम को प्रेषित किया गया था। ओ०एम०एण्ड एम० सेल द्वारा तृतीय अनुस्मारक पत्र संख्या-२३७ / ९ / ३६८(५) / २०२१-२२ दिनांक 12.10.2020 द्वारा प्रेषित किया गया परन्तु वर्तमान तक उ०प्र० जल निगम से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

इसी प्रकार गोरखपुर जोन के रामधाट अयोध्या पर १२ एम०एल०डी० एस०टी०पी० के FTU (फाइनल पॉलिशिंग यूनिट) के बेड को आर०सी०सी० का बनाये जाने हेतु डी०पी०आर० अनुमानित लागत रु० ४९७.७६ लाख था। मुख्य अभियन्ता (पी०पी०आर०बी०डी० सेल), उ०प्र० जल निगम, लखनऊ के अप्रेजल के उपरान्त मुख्य अभियन्ता (गंगा) उ०प्र० जल निगम के पत्रांक ७४३ / ०२२-४०७(बी) / २०२१ दिनांक 10.08.2021 के माध्यम से अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया है। उक्त प्रस्ताव पर परीक्षणोपरान्त कुछ आपत्तियाँ पत्र संख्या २१६ / ९ / ३६८(५) / २०२१-२२ दिनांक 07.09.2021 द्वारा निराकरण हेतु मुख्य अभियन्ता (गोरखपुर क्षेत्र), उ०प्र० जल निगम, गोरखपुर को प्रेषित की गयी है परन्तु वर्तमान तक कार्यवाही अपेक्षित है। ओ०एम०एण्ड एम० सेल द्वारा अनुस्मारक पत्र संख्या-२३८ / ९ / ३६८(५) / २०२१-२२ दिनांक 12.10.2020 द्वारा प्रेषित किया गया परन्तु वर्तमान तक उ०प्र० जल निगम से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

सदस्य सचिव/मुख्य अभियन्ता, ओ०एम० एण्ड एम० सेल द्वारा अवगत कराया गया कि उ०प्र० जल निगम द्वारा शीघ्र आपत्तियों का निराकरण किया जाना आवश्यक है जिससे इस संबंध में अग्रेतर कार्यवाही की जा सके।

समिति का निर्णयः— उपरोक्त एजेंडा संख्या—(i) के बिन्दु संख्या—3 के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाये।

एजेंडा (xiv) वन सिटी वन ऑपरेटर योजना के अन्तर्गत अनुबंध संख्या—09 / एसजीआरसीए / 2017–18 (OM&M) Package-4, Zone-Lucknow के अन्तर्गत मेजर रिप्लेसमेन्ट फण्ड से कराये कार्यों (सीवर नेटवर्क में गैप आदि पूर्ण करने का कार्य) हेतु महाप्रबन्धक, गोमती प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ के पत्रांक 1549 / डब्ल्यू—29 / 340 दिनांक 12.07.2021 द्वारा रु0 49.073 लाख हेतु बिना पी0पी0आर0बी0डी0 सेल के अप्रेजल के सीधे ओ0एम0एण्ड एम0 सेल को प्रेषित किया गया है। इसके अतिरिक्त महाप्रबन्धक, गोमती प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ के पत्रांक 1552 / डब्ल्यू—29 / 342 दिनांक 12.07.2021 के माध्यम से मेजर रिप्लेसमेन्ट फण्ड के अन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रों में सीवर नेटवर्क में गैप आदि पूर्ण करने हेतु बिना पी0पी0आर0बी0डी0 सेल के अप्रेजल के रु0 444.334 लाख का बिल सीधे ओ0एम0 एण्ड एम0 सेल को पत्रांक 202 / 8 / 368(4) / 2021–22 दिनांक 14.08.2021 के माध्यम से आपत्तियाँ महाप्रबन्धक, गो0प्र0नि0इ0, लखनऊ को प्रेषित की गयी हैं परन्तु वर्तमान तक इस पर परीक्षणोपरान्त ओ0एम0 एण्ड एम0 सेल द्वारा तृतीय अनुस्मारक पत्र संख्या—236 / 8 / 368(4) / 2021–22 दिनांक 12.10.2020 द्वारा प्रेषित किया गया परन्तु वर्तमान तक उ0प्र0 जल निगम से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

फर्म द्वारा उक्त कराये जा चुके कार्यों के भुगतान हेतु अपने पत्र संख्या—SIPL/RM/UPJN/433 दिनांक 13.10.2021 द्वारा अनुरोध किया गया है कि जब तक जल निगम द्वारा आपत्तियों का निराकरण नहीं कर दिया जाता है तब तक अग्रिम के तौर पर उक्त व्यय की गयी धनराशि का 75 प्रतिशत का भुगतान कर दिया जाए।

सदस्य सचिव/मुख्य अभियन्ता, ओ0एम0 एण्ड एम0 सेल द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त दोनों प्रस्ताव का कुल धनराशि रु0 493.407 लाख का कार्य जलकल विभाग के सत्यापन के उपरान्त स्वीकृति की प्रत्याशा में करा दिया गया है परन्तु लम्बे समय से भुगतान न होने के कारण फर्म को अग्रिम के रूप में 50 प्रतिशत की धनराशि का भुगतान किया जाना उचित होगा।

समिति का निर्णयः— उपरोक्त एजेंडा संख्या—(i) के बिन्दु संख्या—3 के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाये।

एजेंडा (xv) निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा नगरीय निकाय निदेशालय में गठित “ओ0एम0एण्ड एम0 सेल” हेतु बजट स्वीकृत करने हेतु प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, अनुभाग—5, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को पत्र संख्या—27 / 02 / OM&M Cell / 2020–21 दिनांक 22.05.2020 के माध्यम से कुल धनराशि रु0 27.60 लाख प्रतिवर्ष (रु0 सत्ताइस लाख साठ हजार मात्र प्रतिवर्ष) उचित मद में स्वीकृत करते हुये धनराशि निदेशालय को अवमुक्त किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है। उक्त पत्र के साथ प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 15.05.2020 को सम्पन्न हुई बैठक के कार्यवृत्त सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न किया गया है। बैठक के कार्यवृत्त के पैरा—9 (iii) में लिये गये निर्णय के अनुपालन में OM&M Cell के संचालन हेतु कुल धनराशि रु0 27.60 लाख प्रतिवर्ष का प्रस्ताव स्वीकृत हेतु प्रेषित किया गया है।

सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि बजट के अभाव में OM&M Cell के संचालन में कठिनाई उत्पन्न हो रही है, अभी विगत समय दिनांक 05 से 07.10.2021 तक मा0 प्रधानमंत्री जी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम में OM&M Cell के स्टाल लगाने में भी अत्यधिक वित्तीय कठिनाईयों का सामना करना पड़ा है। अतः OM&M Cell के संचालन हेतु वांछित धनराशि रु0 27.60 लाख प्रतिवर्ष स्वीकृत करना आवश्यक होगा।

समिति का निर्णयः— अपर मुख्य सचिव महोदय द्वारा उक्त का संज्ञान लेते हुये निर्देश दिया गया कि प्रदेश में स्थित 7 बड़े नगर निगमों (10 लाख आबादी से अधिक) एवम् 10 छोटे नगर निगमों से (10 लाख आबादी

से कम) प्रतिवर्ष क्रमशः रु. 2 लाख एवम् रु. 1 लाख कुल रु 24.00 लाख प्रतिवर्ष की व्यवस्था करते हेतु निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 को निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही:- नगर आयुक्त/सहायक निदेशक (लेखा)/मुख्य अभियन्ता, ओ0एम0एण्ड एम0 सेल)

शासनादेश संख्या-849/नौ-9-19-89ज/2001 दिनांक 18 जुलाई, 2019 एवं शासनादेश संख्या-2748/नौ-9-20-89ज/2001 दिनांक 30.12.2020 द्वारा पुनरीक्षित बजट रु 350 करोड़ प्रतिवर्ष एस.टी.पी. के संचालन, अनुरक्षण एवं प्रबंधन की व्यवस्था की गयी है जिसके सापेक्ष उ0प्र0 जल निगम को उक्त धनराशि रु 56,35,18,152.87/- (रु 0 छपन करोड़ पैंतीस लाख अठारह हजार एक सौ बावन व पैसे सतासी मात्र) आवंटित की जा सकती है।

सदस्य—सचिव
मुख्य अभियन्ता,
उत्तर प्रदेश पालिका (केन्द्रीयत)
अभियन्त्रण सेवा, उत्तर प्रदेश

सदस्य
उप/सहायक निदेशक, लेखा,
नगरीय निकाय निदेशालय,
उ0प्र0, लखनऊ

सदस्य—सचिव
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
for लखनऊ

सदस्य
निदेशक नगरीय निकाय
निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ

सदस्य
प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ

अध्यक्ष
अपर प्रमुख सचिव,
नगर विकास विभाग, उ0प्र0
शासन

समिति का निर्णय:- सदस्य सचिव/मुख्य अभियन्ता, ओ०एम०एण्ड एम० सेल द्वारा उपरोक्तानुसार प्रमाणित कुल धनराशि रु० ५,०६,६५,४२३.९२ (रु० पाँच करोड़ छः लाख पैंसठ हजार चार सौ ते॒इस व पैसे बानवे मात्र) में से क्रमशः आगरा जोन के लिए रु० १,४२,००,८४१.८९ गाजियाबाद जोन के लिए रु० २,४४,७४,५५७.७२ एवं गोरखपुर जोन के लिए रु० १,१९,९०,०२४.३१ की स्वीकृति शासन स्तर से प्रदान करने व शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि को प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम को विद्युत देयकों के मद में आवंटित करने हेतु समिति द्वारा सर्वसम्मति से सहमति व्यक्त की गयी।
 (कार्यवाही— प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम / मुख्य अभियन्ता/ सदस्य सचिव, ओ०एम०एण्ड एम०)

एजेन्डा (xi) वन सिटी वन ऑपरेटर योजना के अन्तर्गत गाजियाबाद जोन (पैकेज-८) के अन्तर्गत उ०प्र० जल निगम द्वारा दिसम्बर 2020 के बिल से रु० १,६०,८८,२०७.८२ की गयी कटौती को अवमुक्त करने की संस्तुति की गयी है। इस प्रस्ताव को समिति के गत बैठक दिनांक १६.०८.२०२१ में समिलित नहीं किया जा सका था। इस संबंध में श्री मनीष कुमार सिंह, मुख्य अभियन्ता (ओ०एम० एण्ड एम० सेल) / सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया कि RA Bill No- 1,2,3 & 4 से सीवर नेटवर्क हेतु कुल धनराशि रु० १,६०,८८,२०७.८२ की कटौती उ०प्र० जल निगम द्वारा की गयी थी परन्तु स्पष्ट कारण से अवगत कराते हुये एक बार काटी गयी धनराशि को दिसम्बर-२०२० (RA Bill No- १३) के बिल में अवमुक्त करने की संस्तुति कर दी गयी है। इस संबंध में मुख्य अभियन्ता (गाजियाबाद क्षेत्र) उ०प्र० जल निगम, गाजियाबाद को ओ०एम० एण्ड एम० सेल द्वारा पत्र संख्या-२३३ / १२ / ३६८(८) दिनांक ०७.१०.२०२१ के माध्यम से उनकी सुस्पष्ट आख्या शीघ्र प्रेषित करने हेतु अनुरोध किया गया है परन्तु वर्तमान तक इस संबंध में कार्यवाही अपेक्षित है।

अतः सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि जब तक उ०प्र० जल निगम द्वारा यह स्पष्ट न कर दिया जाए कि किन कारणों से RA Bill No- १,२,३ & ४ से सीवर नेटवर्क हेतु काटी गयी धनराशि को RA Bill No- १३ में बिना सुस्पष्ट कारण के अवमुक्त करने हेतु संस्तुति की गयी तब तक इस काटी गयी धनराशि को अवमुक्त करना उचित नहीं होगा। प्रस्ताव निर्णय हेतु प्रस्तुत है।

समिति का निर्णय:- उक्त प्रस्ताव का अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेन्डा (xii) M/s VA Tech Wabag Ltd. के पत्र संख्या VATW/2021-22/PKG-8/LKO/OMM/123 Dt. 10.08.2021 जो ओ०एम० एण्ड एम० सेल को सम्बोधित है, द्वारा अवगत कराया गया है कि अनुबंध संख्या ०९/SGRCA/2017-18 (OM&M) Contract Package-८, Zone Ghaziabad के अन्तर्गत गाजियाबाद जोन में मेजर रिप्लेसमेन्ट फण्ड के अन्तर्गत आवश्यक कार्य गत वर्ष कराये गये थे जिनका बिल जनवरी-२०२१ में प्रस्तुत कर दिया गया तथा इस हेतु रु. १८४५.७० लाख का आगणन पी०पी०आर०बी०डी० से अनुमोदन के पश्चात मुख्य अभियन्ता (गंग), उ०प्र० जल निगम, लखनऊ के पत्र संख्या ५४६ / ०२२-४०७(बी) / २०२० दिनांक ३०.०६.२०२१ द्वारा ओ०एम० एण्ड एम० सेल प्रेषित किया गया है। साथ ही यह भी अवगत कराया गया है कि प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में दिनांक १५.१०.२०२० को सम्पन्न बैठक में यह निर्णय लिया गया कि ७४ व ५६ एम०एल०डी० १०टी०पी० इन्दिरापुरम एवम् ७० एम०एल०डी० एस०टी०पी० छूंडाहेड़ा पर मेजर रिप्लेसमेन्ट फण्ड के सापेक्ष जल निगम द्वारा प्रेषित आगणन के आधार पर In-Principle Approval प्रदान की जाती है।

उक्त के संबंध में सदस्य सचिव/मुख्य अभियन्ता, ओ०एम० एण्ड एम० सेल द्वारा अवगत कराया गया कि दिनांक १५.१०.२०२० की बैठक के कार्यवृत्त पत्रांक ७० / ०२ / OM&M/2020-21 दिनांक ०२.११.२०२० के प्रस्ताव संख्या-(v), (vi), (vii), (viii) & (ix) पर समिति का निर्णय निम्नानुसार प्राप्त हुआ है।

“जल निगम द्वारा प्रेषित प्रारंभिक आगणन के आधार पर उक्त प्रस्ताव संख्या-(v), (vi), (vii) & (ix) की In-Principle Approval प्रदान की जाती है। महाप्रबन्धक, उ०प्र० जल निगम, गाजियाबाद उक्त प्रस्ताव नियमानुसार जल निगम की प्रक्रिया के अनुरूप मुख्य अभियन्ता, गाजियाबाद एवं पी०पी०आर०बी०डी० की स्वीकृति/अनुमोदन के उपरान्त निदेशालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जाए”।